राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report

2021-22

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2021-22

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
प्लॉट नं. 85, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Sector-18, Institutional Area, Gurugram – 122015 (Haryana)
दूरभाष/Ph.: 0124-2342992, Fax : 0124-2342991
वेबसाइट/Website : www.nhb.gov.in

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

विषय–सूची

प्रस्तावना

1. परिचय

1.1 दृष्टिकोण

1.2 मिशन

1.3 उद्देश्य

2. संगठन

2.1 निदेशक मंडल

2.2 प्रबंध समिति

3. संसाधन

3.1 हमारे लोग

3.2 हमारा नेटवर्क

3.3 हमारी अवसंरचना

4. वित्त–पोषण

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

5.1 उत्पादन तथा फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

5.1.1 परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास

5.1.2 परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास

5.1.3 एकीकृत फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ

5.1.4 उपलब्धियाँ

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण / विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

5.2.1 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप–1 – एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार

5.2.2 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप–2 – बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ

5.2.3 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप–2 – नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित

5.2.4 प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण

5.2.5 उपलब्धियाँ

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

5.3.1 उद्देश्य

5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका

5.3.3 उपलब्धियाँ

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

5.5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ / विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

मुख्य विशेषताएँ : 2021–22

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

क) वाणिज्यिक बागवानी –खुले क्षेत्र की खेती

ख) वाणिज्यिक बागवानी– फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती

ग) फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता

घ) पूरक गतिविधियां

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ख) गुणवत्ता रोपण सामग्री

4. 1 जुलाई 2021 को माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा एनएचबी के ग्वालियर केंद्र का उद्घाटन

5. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

6. हिंदी पखवाड़ा समारोह और हिंदी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरण

रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहलः

i) बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम

ii) राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल

संलग्नक

i. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

ii. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची– 31–03–2022 के अनुसार

iii. स्टॉफ स्थिति– 31–03–2022 के अनुसार

iv. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

v. वर्ष 2021–22 के बोर्ड के वार्षिक लेखे

प्रस्तावना

वर्ष 1984 में इसकी स्थापना के समय से, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) ने 1987–1990 के दौरान बाजार सूचना सेवा और प्रौद्योगिकी जागरूकता योजनाओं के साथ शुरू होने वाली अपनी यात्रा के साथ बागवानी क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया है, इसके बाद सॉफ्ट लोन योजनाओं का शुभारंभ और वर्ष 2000 से वाणिज्यिक उत्पादन, फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेजों के लिए क्रेडिट–लिंक्ड बैक–एन्डिड सब्सिडी योजनाओं की शुरूआत की। वर्ष 2014–15 से, रा.बा.बो. को नए परिचालन दिशानिर्देशों के साथ वाणिज्यिक बागवानी के विकास की गति को तेज करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत लाया गया था। रा.बा.बो. आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ''प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण'' को भी बढ़ावा दे रहा है।

बागवानी उत्पादों का उत्पादन, उपलब्धता और खपत किसी भी देश के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारक होते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि वर्ष 2021–22 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, बागवानी क्षेत्र ने भारतीय बागवानी के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 342.2 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया है। यह राष्ट्र की खाद्य और पोषण सुरक्षा को पूरा करने और उत्पादन के कार्य को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों की इच्छा–शक्ति और उद्यमशीलता क्षमता को दर्शाता है।

रा.बा.बो. ने अपनी व्यापक आधारित उद्यमी संचालित नवीन योजनाओं के माध्यम से उन्नत गुणवत्तायुक्त उत्पादन, फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य वर्धन के लिए किसानों तथा उद्यमियों को सहायता प्रदान करके यह मील का पत्थर हासिल करने में बहुआयामी भूमिका निभाई है। बोर्ड की योजनाओं ने वाणिज्यिक बागवानी में सफलता की कहानियां रचने और बागवानी उत्पादन केंद्रों की स्थापना में मदद की है। इसने फलों और सब्जियों के उत्पादन और फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन, प्राथमिक प्रसंस्करण और हाई–टेक फ्लोरिकल्चर की निर्यात क्षमता और घरेलू बाजार में भी अच्छी मांग के संबंध में निजी–निवेश और प्राथमिक क्षेत्र के ऋण को आकर्षित किया है। वर्ष 2021–22 रा.बा.बो. के कामकाज में सुधार करने और इसे किसानों के अधिक अनुकूल बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष रहा है।

मैं यह अवश्य बताना चाहता हूँ कि बागवानी विकास के क्षेत्र में बोर्ड की ये उपलब्धियाँ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी और रा.बा.बो. के निदेशक मंडल के सदस्यों के योग्य मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थीं। मैं श्री संजय अग्रवाल, सचिव, डीएएंडएफडब्ल्यू और अध्यक्ष, प्रबंध समिति तथा इसके सदस्यों का उनके नियमित मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा करने में रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं स्टाफ की टीम द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट सहयोग की सराहना करता हूँ।

(प्रिय रंजन)
प्रबंध निदेशक

1. परिचय

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की स्थापना अप्रैल 1984 में भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था तथा इसका मुख्यालय गुरूग्राम में है। वर्तमान में, एनएचबी के देश भर में 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बोर्ड के व्यापक प्रयोजन और उद्देश्य एकीकृत उच्च–वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन कलस्टर/ हब विकसित करना, कटाई उपरांत और पुरानी श्रृंखला के बुनियादी ढांचे का विकास करना, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और हाई–टेक वाणिज्यिक बागवानी आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/ तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

1.1 दृष्टिकोण

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों के लिए जोखिम के अल्पीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।

- देश में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार; कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना का सृजन, प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं।

- इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

1.2 मिशन

- उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।

- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।

- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।

- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी हितधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाज़ार विकास और निर्यात संवर्धन।

1.3 उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य **संलग्नक–I** में दिए गए हैं।

2. संगठन

2.1 निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय "निदेशक मंडल" द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। निदेशक मंडल का संघटन इस प्रकार हैं:

क्र. स.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	केंद्रीय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	सदस्य (पदेन)
5.	अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
7.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	सदस्य (पदेन)
10.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का एक प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेषतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित किया जा सकता है	सदस्य (पदेन)
12.	बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी–विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	गैर–सरकारी सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची, 31–03–2022 के अनुसार, **संलग्नक–II** में दी गई है ।

2.2 प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन इस प्रकार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम	पद
1.	केंद्रीय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
7.	महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	सदस्य (पदेन)
8.	किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

3. संसाधन

3.1 हमारे लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्योरे **संलग्नक–III** में दिए गए हैं।

3.2 हमारा नेटवर्क

इस बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची **संलग्नक–IV** में दी गई है।

3.3 हमारी अवसंरचना

1. 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा–भरा परिसर।
2. प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
3. बागवानी प्रकाशनों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
4. प्रधान कार्यालय में समिति हॉल तथा कैंटीन सुविधाएँ।

4. वित्त–पोषण

बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त–पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं:–

(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	योजना का नाम	प्राप्त अनुदान	अव्ययित शेष (01–04–2021 के अनुसार)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय
1.	एन.एच.बी.	10682.00#	1878.83*	12560.83	7750.37
2.	एन.एच.एम. (टीएसजी)	170.00	51.86	221.86	160.84
3.	एन.बी.एम. (टीएसजी)	--	18.37	18.37	5.43

*** वर्ष 2021–22 के दौरान राशि रु. 185.91 लाख डीए एंड एफडब्लू को वापिस किया गया था (2020–21 से पहले अव्ययित शेष के कारण, कॉल बैक सब्सिडी और अर्जित ब्याज)।**

 # 02–04–2022 को एन.एच.बी. के बैंक खाते में प्राप्त राशि रु. 1000.00 लाख।

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी फसलों में पद्धतियों तथा प्रसंस्करण / मूल्य संवर्धन के आधुनिक पैकेज के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम / योजनाएं चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार–संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल–कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सृजित करने और उत्पादन तथा फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढावा देने के लिए मध्यवर्तन का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2021–22 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई है:–

5.1 उत्पादन तथा फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

इस घटक के अंतर्गत, खुला क्षेत्र में एवं संरक्षित परिस्थितियों के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए परियोजनाएं, फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र. सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
5.1.1	परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उम्दा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल हैं। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फ़ार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे घटक भी योजना के अधीन मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए पात्र हैं।	क्रेडिट लिंक्ड बैक–एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 30.00 लाख प्रति परियोजना और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 37.50 लाख प्रति परियोजना है।
5.1.2	परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास	यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएं शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाऊसों, शेड नैट हाऊसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्चिंग, और प्लास्टिक सुरंग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियाँ सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिएं।	क्रेडिट लिंक्ड बैक–एन्डिड सहायिकी स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 56.00 लाख प्रति परियोजना है। (बोर्ड को उत्तर–पूर्वी राज्यों में 1000 वर्ग मी. और अधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती के अधीन परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।)
5.1.3	एकीकृत फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं	i) पैक हाऊस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, प्री–कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं को इस घटक के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। रा.बा.बो. घटक मोड में पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएं भी स्वीकार करता है।	क्रेडिट लिंक्ड बैक–एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता हेतु कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 72.50 लाख प्रति परियोजना है।

		ii) केवल फलों, सब्जियों, फूलों, काजू और सुगन्धित पौधों की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां	क्रेडिट लिंक्ड बैक–एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 8.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता सहित कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 12.50 लाख प्रति परियोजना है।

5.1.4 उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 125 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें रु0 2700.57 लाख की सहायिकी दी गई। परियोजनाओं में हाई–टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैक हाऊस और ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, रीफर वैन,, प्री–कूलिंग इकाईयां, कोल्ड रूम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल हैं।

खुले क्षेत्र में खेती

बेलगावी जिला (कर्नाटक) में खुले क्षेत्र में अंगूर की खेती

खंडवा जिला (म.प्र.) में खुले क्षेत्र में आम की खेती

कांकेर जिला (छत्तीसगढ़) में खुले क्षेत्र में केले की खेती

नाशिक जिला (महाराष्ट्र) में खुले क्षेत्र में अंगूर की खेती

संरक्षित खेती

शिमोगा जिला (कर्नाटक) में पॉली हाउस के अंतर्गत एंथुरियम की खेती

चिक्कबल्लापुरा जिला (कर्नाटक) में पॉली हाउस के अंतर्गत रंगीन शिमला मिर्च

इंदौर जिला (मध्यप्रदेश) में पॉली हाउस के अंतर्गत शिमला मिर्च की खेती

हासन जिला (कर्नाटक) में पॉली हाउस के अंतर्गत एंथुरियम की खेती

संरक्षित खेती

विजयवाड़ा जिला (आंध्रप्रदेश) में पॉली हाउस के अंतर्गत रंगीन शिमला मिर्च की खेती

महासमुंद जिला (छत्तीसगढ़) में पॉली हाउस के अंतर्गत गुलाब की खेती

कृष्णागिरी जिला (तमिलनाडू) में पॉली हाउस के अंतर्गत रंगीन शिमला मिर्च की खेती

संरक्षित खेती

गुंटूर जिला (आंध्र प्रदेश) में बुनियादी ढांचे के साथ पॉली हाउस में गुलाब की खेती

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र. सं.	विवरण	मदें	सहायता का तरीका
5.2.1	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 1– मूल मेजेनाइन संरचना बड़े चैम्बर (> 250 मी.ट.) सहित एकल तापमान जोन के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: • @रु. 8000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @रु. 7600/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 7200/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 6800/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए	क्रेडिट लिंक्ड बैक–एन्डिड सहायिकी 5000 मी.ट. से अधिक की क्षमता के लिए परियोजना की लागत के 35 प्रतिशत (उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी.) (120 घन फीट {घ.फी.} चेम्बर मात्रा 1 मी. ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की
5.2.2	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2– पीईबी टाइप बहु तापमान और	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: • @रु. 10000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की	

	उत्पाद उपयोग के लिए, < 250 मी.ट. के 6 चैम्बरों से अधिक और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ	क्षमता के लिए • @रु. 9500/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 9000/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 8500/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए	अनुमति दी गई है।) हालांकि, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सभी सामग्री/ प्रौद्योगिकी को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
5.2.3	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2– नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर ऊपर दी गई टाइप 2 दरों के अनुसार विचार करता है। अतिरिक्त रु. 10,000/मी.ट. नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के एडऑन घटकों के लिए घटक वार लागत के अनुसार।	
5.2.4	प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण	• @रु. 5000/मी.ट. क्षमता 5001 से 10000 मी.ट. के बीच के लिए • आधुनिकीकरण के घटकों में शामिल हैं– पीएलसी घटक, पैकिंग लाइन, डॉक लेवलर, एडवांस ग्रेडर्स, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ, स्टेकिंग प्रणाली, इन्सयूलेशन और रेफरिज़रेशन का आधुनिकीकरण आदि।	

5.2.5 उपलब्धियाँ

इस योजना के अधीन, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरेजों की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 109111.68 मी.ट. की क्षमता के सृजन के लिए रु. 2653.11 लाख की सब्सिडी दी गई है।

कोल्ड स्टोरेज

मै0 रिवर कोल्ड स्टोरेज एलएलपी, जिला कछार (असम) की एनएचबी से सहायता–प्राप्त यूनिट

मै0 श्री वरलक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, जिला–गुंटूर (आंध्र प्रदेश) की एनएचबी से सहायता–प्राप्त यूनिट

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

5.3.1 उद्देश्य

वाणिज्यिकीकरण/अंगीकरण के लिए चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु परियोजनाएँ निम्नलिखित उप–घटकों के माध्यम से चलाई जाएंगीः

5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका

क्र. सं.	घटक	सहायता का तरीका
i	ब्लॉक/मदर प्लांट तथा रूट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है0 से अधिक)	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु. 100.00 लाख/है0 की दर से केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
ii	बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण।	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से रु. 50.00 लाख/परियोजना की दर से।
iii	प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु नई मशीनों तथा औज़ारों का आयात/खरीद।	रु. 50.00 लाख/मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा.बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण–दोष पर विचार किया जा सकता है।
iv	प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरणः– (i) उच्च गुणवत्तायुक्त वाणिज्यिक उत्पादन के संवर्धन या उत्पादकता में वृद्धि के लिए नए फार्म आगत के प्रारम्भ और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों इत्यादि के लिए प्रायोगिक परियोजना। (ii) पीएचएम, कोल्ड चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नए प्रोटोकॉल का विकास और परिचय तथा पीएचएम, स्टोरेज कोल्ड चेन सिस्टम सहित और हैंडलिंग के लिए नए औजारों/उपस्करों/मशीनरियों का परिचय। (iii) उत्पादन, पीएचएम, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग तथा परिवहन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आर एंड डी परियोजनाएं।	कुल लागत का 100 प्रतिशत रु. 25.00 लाख/परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से।
v	लम्बी दूरी के परिवहन और रेल के माध्यम से बागवानी उत्पादों के थोक आवागमन को सुगम बनाने	परियोजना आधारित रु. 2000.00 लाख।

	के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान घटक।	
vi	उत्पाद संवर्धन और बाज़ार विकास सेवाएँ – हार्टि–फेअर	रु. 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत।
vii	किसानों की एक्सपोजर यात्रा (राज्य के बाहर)	परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार।
viii	सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा	रु. 6.00 लाख प्रति प्रतिभागीदार– हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत।
ix	बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रदर्शिनियों आदि का आयोजन/भागीदारी।	(i) वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय आयोजन (3–5 दिन) के लिए रु. 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु. 5.00 लाख, राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 3.00 लाख और जिला–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 0.50 लाख तक सीमित होगी। (ii) अल्पावधि (1–2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी: • रु. 1.00 लाख प्रति राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए; • रु. 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय–स्तरीय आयोजन के लिए, और • रु. 3.00 लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)।
x	फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग	रु. 1.00 लाख/नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा।

5.3.3 उपलब्धियाँ

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत, प्रगतिशील किसानों के दौरों, हार्टि संगम, संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों के आयोजन/भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 16 परियोजनों को सहायता प्रदान की है और रु. 49.76 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।

एनएचबी गुवाहाटी द्वारा दिनांक 27.01.2022 को केवीके, तिरप, देवमाली (अरुणाचल प्रदेश) में स्मार्ट बागवानी पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन

फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग

बेलगाम जिला (कर्नाटक) में सब्जियों की नर्सरी

रांची जिला (झारखंड) में फल पौध नर्सरी

मेहसाणा जिला (गुजरात) में सब्जी नर्सरी

श्रीनगर जिला (जम्मू और कश्मीर) में फल पौध नर्सरी

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाज़ार सूचना सेवा

इस योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास, डेटा फीडिंग, प्रचार के माध्यम से सूचना प्रसार, मुद्रित साहित्य, स्थानीय विज्ञापनों आदि का कार्य होता है। इस योजना में एमआईडीएच के टीएसजी घटक के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार अनुमोदित दरों पर आउटसोर्स स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और बागवानी सहायकों को लगाने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत मिशन प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय सहित एन.एच.बी. केन्द्रों हेतु राशि रु. 779.99 लाख का व्यय हुआ है।

5.5 बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएंगे और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य अपनी मैनपावर और आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ किया जाता है और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बागवानी संवर्धन सेवा योजना के तहत रु. 260.48 लाख और मिशन प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय के तहत रु. 1140.68 लाख की राशि मुख्यालय हेतु व्यय की गई है।

मुख्य विशेषताएँ : 2021–22

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

क) **वाणिज्यिक बागवानी –खुले क्षेत्र की खेती** : विभिन्न फलों, मसालों, सुगंधित पौधों की परियोजना मोड में खुले क्षेत्र परिस्थितियों वाली 35 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए रु. 237.0531 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 476.09 एकड़ क्षेत्र शामिल है।

ख) **वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती** : फूलों और सब्जियों की संरक्षित परिस्थितियों वाली 81 परियोजनाओं के लिए रु. 2454.198 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 122.47 एकड़ क्षेत्र शामिल है।

ग) **फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता** : ग्रेडिंग पैकिंग इकाईयाँ, पैक हाऊस, कोल्ड रूम आदि के सृजन हेतु 03 परियोजनाएँ जिसमें रु. 26.76 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।

घ) **पूरक गतिविधियां** : मशरूम इकाईयों की 6 परियोजनाएं जिसमें रु. 132.71 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

क) एन.एच.बी. ने 109111.68 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए 16 कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरों को रु. 2653.11 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई है।

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

क) **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** : विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों में भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों के 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए/सहयोग प्रदान किया गया।

ख) **गुणवत्ता रोपण सामग्री** : फल एवं सब्जी नर्सरी के प्रमाणन तथा मूल्यांकन की प्रणाली 2008–09 से शुरू की गई है। 2021–22 के दौरान, बोर्ड ने 305 नर्सरियों को प्रमाणित किया है।

4. 1 जुलाई 2021 को माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा एनएचबी के ग्वालियर केंद्र का उद्घाटन

5. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

6. हिंदी पखवाड़ा समारोह और हिंदी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरण

रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहलः

1. बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मई 2021 को क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) नामक केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया, जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

सीडीपी का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी समूहों के समग्र वर्धन और विकास को सक्षम बनाना है ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके। इस कार्यक्रम को चलाने और इसके कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए एनएचबी द्वारा ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी को प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह कार्यक्रम बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व–उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार–आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पचपन (55) बागवानी समूहों की पहचान की और यह मान लिया कि सभी समूहों में कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के बाद, कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश का लाभ उठाने वाले लगभग 1 मिलियन किसानों को लाभान्वित करने और लक्षित फसलों के निर्यात में 20% की वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

क्षेत्र के दौरे और मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त व्यापक प्रतिक्रिया के आधार पर, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशानिर्देश को तैयार और अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक रूप में 12 क्लस्टरों को शॉर्टलिस्ट करके कार्यक्रम के पायलट चरण को लागू किया जाए और पायलट चरण से मिली सीख के आधार पर सभी 55 क्लस्टरों को कवर करने के लिए कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा।

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 29 अक्टूबर, 2021 को वर्चुअल तरीके से बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशानिर्देश का शुभारंभ किया।

दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार, प्रत्येक चिन्हित क्लस्टर के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी (सीडीए) की नियुक्ति की गई है ताकि अंतराल पर विस्तृत विश्लेषण किया जा सके और क्लस्टरों में अभिनव हस्तक्षेपों के दायरे का निर्धारण किया जा सके। सीडीए द्वारा प्रस्तुत क्लस्टर गैप असेसमेंट रिपोर्ट (सीजीएआर) के आधार पर, सीडीपी के तहत विभिन्न कार्यक्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन हेतु अनुरोध प्रस्तावों (आरएफपी) को 31.03.2022 तक आठ (08) समूहों में प्रकाशित किया गया था। शेष चार (04) क्लस्टरों से संबंधित आरएफपी प्रक्रिया में हैं और जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल

गुणवत्ता रोपण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता भारत में विभिन्न बागवानी फसलों की कम उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। आम चुनौतियां 2 से 3 साल के बाद भी ग्राफ्ट्स का अचानक सूख जाना, लंबी गर्भधारण अवधि, और 6–7 साल बाद भी पेड़ों के फूल न आना, खराब फल सेटिंग, कम उत्पादकता और फलों की खराब गुणवत्ता के बारे में हैं।

उपरोक्त मुद्दे से चिंतित, भारत सरकार नर्सरी की स्थापना, उनकी मान्यता और रेटिंग के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में बागवानी फसलों की गुणवत्ता रोपण सामग्री का प्रसार, बहुलीकरण और वितरण के प्रयोजन हेतु देश भर में गुणवत्ता नर्सरी का एक नेटवर्क स्थापित करना है।

बागवानी फसलों के लिए बड़ी संख्या में नर्सरी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं और उनमें से कई को विभिन्न एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है, हालांकि, किसी भी दी गई अवधि के दौरान विभिन्न फसलों और उनकी किस्मों के लिए जो बिखरी हुई है और एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है, नर्सरियों के स्थान, उनकी रेटिंग और उनके साथ रोपण सामग्री की उपलब्धता से संबंधित जानकारी दी गई है। नतीजतन, इस क्षेत्र में किसानों/उत्पादकों और अन्य हितधारकों के लिए जानकारी कम प्राप्त होना है।

राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव

उपरोक्त समस्या को दूर करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से भारत में नर्सरियों के लिए एक **'ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म'** स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे किसानों/उत्पादकों और अन्य हितधारकों को आस–पास के इलाकों में गुणवत्ता रोपण

बागवानी से समृद्धि

गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना

सामग्री की उपलब्धता के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एनएचबी ने राष्ट्रीय नर्सरी वेब पोर्टल को डिजाइन और प्रबंधित करने के लिए एक पेशेवर एजेंसी को कार्य सौंपा।

इस पोर्टल के माध्यम से, नर्सरी मालिक अपनी प्रोफाइल और पोस्ट सेल ऑफर दिखा सकेंगे और रोपण सामग्री के खरीदार पूछताछ पोस्ट कर सकते हैं और मेल खाने वाले सेल ऑफर देख सकते हैं। राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: –

- पंजीकरण के बाद, नर्सरियाँ पौध रोपण सामग्री स्टॉक की उपलब्धता सहित अपने प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगी।
- नर्सरियों को रेटिंग प्रणाली और/या राज्य सरकारों के साथ भी जोड़ा जाएगा। यह खरीदारों को नर्सरी से उनके द्वारा खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सूचित करने और निर्णय लेने की अनुमति देगा।
- नर्सरियाँ, पोर्टल में पंजीकृत खरीदारों को बिक्री प्रस्ताव पोस्ट करने में सक्षम होंगी।
- खरीदार, पोर्टल में पूछताछ पोस्ट करने में सक्षम होंगे।
- पोर्टल पर वर्चुअल एग्रीगेशन फीचर, नर्सरी के सेल ऑफर्स के साथ क्रेता की पूछताछ से स्वतः मेल खाएगा। नर्सरी और खरीदार पोर्टल का उपयोग करके संदेशों का आदान–प्रदान कर सकेंगे।
- यह नर्सरियों और खरीदारों के बीच संचार अनुबंध और ज्ञान प्रसार के लिए भी एक मंच होगा।

कृषक समुदाय के व्यापक कवरेज के लिए यह पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इसके अलावा, पंजीकृत खरीदारों और नर्सरियों के लिए ''एनरॉयड'' और ''आईओएस'' दोनों प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल के मोबाइल एप भी कोडिंग की प्रक्रिया में हैं।

नव विकसित एनएचबी का राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल प्लेटफॉर्म खरीदारों को नर्सरियों तक आसानी से पहुंचने के साथ–साथ गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता, मूल्य अपेक्षा आदि से अवगत कराने में मदद करता है। इसी तरह नर्सरियाँ भी बाजार की मांग से रूबरू होंगी। खरीदारों का नर्सरियों से सीधे जुड़ने के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि नर्सरियों को उनकी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा और साथ ही बेहतर उपज और गुणवत्ता अनुपालन के लिए समय पर सलाह प्राप्त होगी।

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 13 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का शुभारंभ किया:

संलग्नक–I

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च–प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।

ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई–उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।

iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना।

iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यिकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार–प्रसार करना।

v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।

vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना।

vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना।

ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताज़े बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि।

x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बाग़बानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेज़ों में परिचालक, ताज़े बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना।

xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना।

xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।

संलग्नक–II

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2022 के अनुसार)

क्र. सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
1	**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर** माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23383370 / 23782691 / 23384129 ईमेलः am.krishi@nic.in	अध्यक्ष (पदेन)
2	**सुश्री शोभा करंदलाजे** माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23782343 / 23782565 ईमेलः mos.krishi@nic.in	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23382651 / 23388444 ईमेलः secy-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)
4	**महानिदेशक** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23382629–476 / 25841976 / 23386711 / 25843190 (आवास) ईमेलः dg.icar@nic.in	सदस्य (पदेन)
5	**अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23381363 / 23382532 ईमेलः asfa-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)
6	**अपर सचिव (बागवानी)** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23381503 ईमेलः ascc-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)

7	**संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक** एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23382444 / 23073779 ईमेलः jsmidh-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)
8	बागवानी आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23381012 / 23383712 ईमेलः hortcommissioner@gmail.com/ hort.comm-agri@agri.gov.in	सदस्य (पदेन)
9	**सलाहकार (कृषि)** नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाषः 011–23096630 2598, मो0 9868060359 ईमेलः adviser.agri-pc@nic.in neelam.patel@gov.in	सदस्य (पदेन)
10	**अध्यक्ष** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाषः 011–26513167 ईमेलः chairman@apeda.gov.in	सदस्य (पदेन)
11	**श्री बंसीलाल गुर्जर** गांव लालघाटी, पोस्ट ऑफिस साबाखेडा, तहसील एवं जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) मोबाइलः 09425105258, 09425105648 ईमेलः gurjar.banshilal@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
12	**डॉ. संजय शर्मा** करूण नर्सिंग होम, मंटेडी, अंबाला – 134003 (हरियाणा) मोबाइलः 09416028501, 07988661769, (फोनः 0171–2855001) ईमेलः sanjay65dr@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
13	**श्री गैरी टी. हाओकिप** एच–56, रिपब्लिक मॉल वेंग आइजवाल, मिजोरम – 796001 मोबाइलः 09436354457 ईमेलः garyhaokip@yahoo.co.in	गैर–सरकारी सदस्य

14	**श्री राकेश कुमार शर्मा** गांव बुधन (निचला), पोस्ट ऑफिस पैरविन, तहसील बरसार, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) मोबाइल : 09418600199 ईमेलः rakeshsharmaabvp@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
15	**श्री एस.एन. राजन्ना** सिंगानायकनाहल्ली येलकंका होबली, बैंगलोर–560064 (कर्नाटक) मो0 : 09845085779 ईमेल : snrajanna1960@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
16	**डॉ. सुनील पारीक** एसोसिएट प्रोफेसर (पीएचटी) कृषि और पर्यावरण विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नं. 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल स्टेट, कुंडली, सोनीपत – 131028 (हरियाणा) मो0 : 09414821483, 07056721483 ईमेल : sunil_ciah@yahoo.co.in	गैर–सरकारी सदस्य
17	**श्री हुकुमचंद पाटीदार** गांव मानपुरा, तहसील असनवार, जिला झालावाड (राजस्थान) मोबाइलः 09461951154 ईमेल : organicfarmmanpura@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
18	**श्री बाला शिव प्रसाद दी** 2/224, गुडीसेट्लु गेट थुम्मनपल्ली पोस्ट, तहसील– होसुर, जिला– कृष्णागिरी, तमिलनाडु मो0: 09095076347 ईमेलः balashivaprasath@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
19	**श्री जगदीश बैस्वरी** गांव और पोस्ट– पूर्वी पारसी, रेणुसागर थाना–अनपरा, सोनभद्र (यूपी) मो0: 8840088781, 9838187201 ईमेलः jagdishprashadbaishwar@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य

20	**श्री अमित सिंह चौहान** ग्राम–बेलग, पोस्ट–झिकनीपुल, तहसील–चौपाल जिला–शिमला, हिमाचल प्रदेश मो0: 09654262690, 07018341590, 0177–2622772 ईमेलः amitchauhan417@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
21	**श्री माणिक गंगाधर पाटिल** पोस्ट–खेड़गांव, सिंचाई कॉलोनी के पास गंगासागर बंगला, ताल–डिंडोरी जिला– नासिक (महाराष्ट्र) मो0: 09225118679 ईमेलः mgsgrapes@gmail.com	गैर–सरकारी सदस्य
22	**प्रबंध निदेशक** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 85, संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर–18, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा) दूरभाषः 0124–2342992, 2347441, 2342989–90 ईमेलः md@nhb.gov.in	सदस्य सचिव (पदेन)

संलग्नक–III

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी है। श्री राजबीर सिंह 01–04–2021 से 31–03–2022 के दौरान बोर्ड के प्रबंध निदेशक थें। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

31–03–2022 को स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के ब्योरे

क्र. सं.	पदनाम	पूर्व संशोधित वेतनमान एवं ग्रेड वेतन		7वें सीपीसी वेतन स्तर एवं वेतन मैट्रिक्स के अनुसार		वर्तमान स्थिति		
		वेतनमान	वेतन	वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पदों की सं0	भरे गये पद	रिक्त पद
समूह "क"								
1	प्रबंध निदेशक	37400-67000	10000	14	144200-218200	1	-	1
2	उप प्रबंध निदेशक	37400-67000	8900	13-A	131100-216600	1	-	1
3	निदेशक (कार्मिक)	15600-39100	7600	12	78800-209200	1	-	1
4	संयुक्त निदेशक	15600-39100	6600	11	67700-208700	5	3	2
5	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)	15600-39100	6600	11	67700-208700	1	-	1
6	उप निदेशक	15600-39100	5400	10	56100-177500	30	20	10
7	उप निदेशक (सूचना प्रणाली)	15600-39100	5400	10	56100-177500	1	1	-
	कुल					**40**	**24**	**16**
समूह "ख"								
1	लेखा अधिकारी	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
2	राजभाषा अधिकारी	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
3	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	7	44900-142400	3	3	-
4	तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर)	9300-34800	4600	7	44900-142400	2	2	-
5	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	1	-
6	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	18	11	7
7	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	-	1
8	वरिष्ठ लेखाकार	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
9	बागवानी अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	17	-	17
10	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
	कुल					**48**	**23**	**25**

समूह "ग"

1.	निजी कार्यपालक	5200-20200	2400	4	25500-81100	5	1	4
2.	कम्प्यूटर कार्यपालक	5200-20200	2400	4	25500-81100	7	6	1
3.	अवर श्रेणी लिपिक	5200-20200	1900	2	19900-63200	5	3	2
4.	हिंदी टंकक	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
5.	चालक	5200-20200	1900	2	19900-63200	3	-	3
6.	इलेक्ट्रीशियन	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
1.	संदेशवाहक/एमटीएस	5200-20200	1800	1	18000-56900	40	33	7
2.	बडर ग्राफटर	5200-20200	1800	1	18000-56900	5	4	1
	कुल					**67**	**49**	**18**

ब्यौरे

क्र. सं.	समूह	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
1.	समूह "क"	40	24	16
2.	समूह "ख"	48	23	25
3.	समूह "ग"	67	49	18
	कुल	**155**	**96**	**59**

इसके अतिरिक्त, अस्थाई हैसियत के 17 संदेशवाहक/एमटीएस पे बैंड रु. 5200–20200 ग्रेड पे रु. 1800/– में नियोजित है।

संलग्नक–IV

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रों के नाम एवं पता
1	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम परिसर पहली मंजिल, गेट नंबर–3, लैबपेट बंदर रोड विजयवाड़ा – 520010 टेली/फैक्सः 0866–2473351 ई–मेलः ap.nhb@gov.in
2	असम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्बर हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी– 781005 टेली/फैक्सः 0361–2343719, 2340695 ई–मेलः assam.nhb@gov.in
3	बिहार	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड वर्मा सेंटर, कमरा नं. 501, 502, 5वां तल, बोरिंग कैनल रोड, पटना – 800001 टेली/फैक्सः 0612–2541218, 2541128 ई–मेलः bihar.nhb@gov.in
4	चंडीगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी.ओ.–85, द्वितीय तल, सैक्टर–40 सी चंडीगढ़ – 160047 टेली/फैक्स : 0172–2625249, 2625269 ई–मेलः chd.nhb@gov.in
5	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, निकट रॉटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंधा, रायपुर – 492001 (छत्तीसगढ़) टेली/फैक्सः 0771–2423992 ई–मेलः cg.nhb@gov.in
6	दिल्ली	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19–22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली – 110011 टेली/फैक्सः 011–23097015, 23073019 ई–मेलः delhi.nhb@gov.in
7	गुजरात	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 416, देवानन्दन, सन्यास आश्रम के सामने, इल्लिस ब्रिज, आश्रम रोड़, अहमदाबाद – 380006 (गुजरात) टेली/फैक्सः 079–29705413, 26585413 ई–मेलः gj.nhb@gov.in

8	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार शिमला –171002 टेलीफोन / फैक्सः 0177–2622908 / 2623801 ई–मेलः hp.nhb@gov.in
9	जम्मू व कश्मीर (श्रीनगर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्पलैक्स राजबाग श्रीनगर – 190008 टेली / फैक्सः 0191–2474349 (पीपी) ई–मेलः jk.nhb@gov.in
10	जम्मू व कश्मीर (जम्मू)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए–2, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू– 180004 टेली / फैक्सः 0191–2474349, 2474112 ई–मेलः jk.nhb@gov.in
11	झारखंड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची–834008 टेली / फैक्सः 0651–2230132, 2233832 ई–मेलः jh.nhb@gov.in
12	कर्नाटक	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14 / 43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर – 560022 टेली / फैक्सः 080–23371935, 23374149 ई–मेलः ktk.nhb@gov.in
13	केरल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. यूआर–10, उप्पलम रोड, स्टेच्यू, तिरूवनंतपुरम – 695001 टेली / फैक्सः 0471–2470505, 2470506 ई–मेलः kerala.nhb@gov.in
14	मध्यप्रदेश (भोपाल)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आर–24, द्वितीय तल, निकट हिंदुस्तान टाइम्स एमपी नगर, जोन – 1, भोपाल – 462011 टेली / फैक्सः 0755–2761741 ई–मेलः mp.nhb@gov.in
15	मध्यप्रदेश (ग्वालियर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि परिसर, मेला मैदान के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर – 474002 (मध्यप्रदेश) टेली / फैक्सः 0751–2930606 ई–मेलः gwlr.nhb@gmail.com

16	महाराष्ट्र (मुम्बई)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं0 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ्रूट मार्किट कॉम्पलैक्स, सेक्टर–19, तुरभे वाशी नवी मुम्बई – 400703 टेली/फैक्सः 022–27830107 ई–मेलः mh.pune.nhb@gov.in
17	महाराष्ट्र (नागपुर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 401, चतुर्थ तल, लोटस प्लाजा, निकट लक्ष्मी भवन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, गोकुलपेठ, नागपुर – 440010 टेली/फैक्सः 0712–2525030, 2523110 ई–मेलः mh.ngp.nhb@gov.in
18	महाराष्ट्र (नाशिक)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंवार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्पलेक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक– 422003 टेली/फैक्सः 0253–2534558, 2533715 ई–मेलः mh.nsk.nhb@gov.in
19	महाराष्ट्र (पुणे)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीएईआर बिल्डिंग, 132/बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे –411007 टेली/फैक्सः 020–25528582/83 ई–मेलः mh.pune.nhb@gov.in
20	उड़ीसा	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन–1/7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने भुवनेश्वर – 751015 टेली/फैक्सः 0674–2558134, 2559620 ई–मेलः odisha.nhb@gov.in
21	राजस्थान	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोदक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 एवं 17, नियर न्यू आतिश मार्किट शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर – 302020 टेली/फैक्सः 0141–2399405, 2390818 ई–मेलः rj.nhb@gov.in
22	सिक्किम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चांग चूप भवन, निकट नायुमा टेलीविजन तिब्बत रोड, गंगटोक – 737101 टेली/फैक्सः 03592–208453, 220975 ई–मेलः sikkim.nhb@gov.in

23	तमिलनाडू	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मोडयूल नं. 37, द्वितीय तल, सिडको रेडिमेड गारमेन्ट कॉम्पलेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई –600032 टेली / फैक्सः 044–22501151 / 22500965 ई–मेलः tn.nhb@gov.in
24	तेलंगाना	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5–9–195, विलियम निवास चिराग अली लेन, आबिड्स, हैदराबाद – 500001 टेली / फैक्सः 040–23200806, 23201140 ई–मेलः ts.nhb@gov.in
25	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा –बागवानी निदेशक 2, सप्रु मार्ग, उद्यान भवन लखनऊ –226001 टेली / फैक्सः 0522–2623374 / 2202420, 4072096 ई–मेलः up.lko.nhb@gov.in
26	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, सी.टी.ओ. बिल्डिंग, तार घर (बी.एस.एन.एल.), कैन्ट, नदेसर, वाराणसी – 221002 टेली / फैक्सः 0542–2508756 ई–मेलः up.var.nhb@gov.in
27	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली – सहारनपुर रोड, बढ़ौत–250611 ई–मेलः up.var.nhb@gov.in
28	उत्तराखंड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नवीन सब्जी मण्डी स्थल, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, निरंजनपुर देहरादून – 248171 टेली / फैक्सः 0135–2761922, 2762767, 2725517 ई–मेलः uk.nhb@gov.in
29	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयुख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर–2, कोलकाता – 700091 टेली / फैक्सः 033–29861049, 23211259 ई–मेलः wb.nhb@gov.in

वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेखे

Speed Post

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central), Chandigarh

सत्यमेव जयते

सं०/No: डी.जी.ए.(सी)/के व्यय/SAR NHB/2021-22/22-23/ 1852 दि०/Dated: 28.10.2022

सेवा मे,

सचिव,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(Ministry of Agriculture and Farmers Welfare),
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2021-22 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृप्या National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2021-22 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलंग्न पायें | संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए|

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ|

कृप्या इस पत्र की पावती भेजें|

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

-हस्ता/-
महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2021-22 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध निदेशक, National Horticulture Board, 85, Institutional Area, Sector 18, Gurugram 122015 को प्रेषित की जाती है|

भवदीय,

निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

प्लाट न. 20-21, सेक्टर - 17ई, चण्डीगढ़ – 160017 Plot No. 20-21, Sector-17E, Chandigarh - 160017
दूरभाष/ Tel.No. 0172 - 2782020 & 2706117 फैक्स/ FAX No:0172 - 2782021 / 2783974 ई-मेल/ Email: pdacchandigarh@cag.gov.in

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के तुलन–पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत की है। 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 25 प्रचालन लेखांकन शाखा इकाईयाँ हैं जिसमें से 07 शाखा इकाईयों (भोपाल, पटना, जम्मू, अहमदाबाद, नागपुर, नाशिक और पूणे) का वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था। ये वित्तीय विवरणियां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मत प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरुपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलूओं इत्यादि, यदि कोई हों, कि अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पृथकतः निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियाँ भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त है, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः–

   i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं;

   ii) इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारुप में तैयार किए गए हैं।

   iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम द्वारा लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि ये, ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होते हैं।

iv) हम आगे सूचित करते हैं किः

क. सामान्य

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 24) क्रम सं. 1 को देखिए जिसमें कहा गया है कि मार्च 2022 के महीने के वेतन का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि यह अगले वर्ष में देय है।

बोर्ड की नीति केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में निहित वित्तीय विवरणों के संकलन के निर्देशों के उल्लंघन में है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय विवरण प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप का पालन न करने के कारण, खातों में ₹ 93.55 लाख की राशि का मार्च 2022 के वेतन का अप्रैल 2022 में भुगतान हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. सहायता–अनुदान

कुल अनुदान ₹ 131.49 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष ₹ 19.93 करोड़, वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त अनुदान ₹ 108.52 करोड़ और बोर्ड की विविध प्राप्तियां ₹ 3.04 करोड़ शामिल हैं), बोर्ड ने राशि ₹ 79.17 करोड़ का उपयोग किया और 31–03–2022 को अव्ययित शेष ₹ 50.42 करोड़ को छोड़कर ₹ 1.90 करोड़ सरकार को वापिस किए गए हैं।

ग. प्रबंधन पत्र

वे कमियाँ जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसके बारे में उपचारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए अलग–से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से बोर्ड के प्रबंधन की जानकारी में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुसार हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सत्य और सही मत देते हैंः

क. जहां तक 31 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम के कार्यों की स्थिति का तुलन–पत्र से संबंध है; और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0/–

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांकः 28.10.2022

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2021–22 का एनएचबी मुख्यालय और जम्मू, भोपाल, पटना, अहमदाबाद, नागपुर और पुणे शाखा कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा किया गया था। वर्ष 2021–22 का एनएचबी नासिक शाखा कार्यालय का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण को अपर्याप्त माना गया है:

(i) बोर्ड ने अपना लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं किया है।

(ii) बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के खंड 10 (i) के अनुसार, प्रबंध समिति को प्रत्येक तीन माह में और अन्यथा अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति द्वारा यथा निर्धारित किए जाने वाले स्थान एवं समय पर कम से कम एक बार बैठक अवश्य करनी चाहिए। वर्ष 2021–22 के दौरान, यह देखा गया कि 25–03–2022 को प्रबंध समिति की केवल एक बैठक हुई थी।

(iii) एनएचबी भोपाल शाखा कार्यालय द्वारा चिकित्सा दावा, व्यय रजिस्टर, व्यय नियंत्रण रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर और अनुबंधों का रजिस्टर नहीं रखा गया था।

(iv) एनएचबी जम्मू शाखा कार्यालय में सकल मूल्य ₹ 1.78 लाख की तेरह अनुपयोगी वस्तुएं थीं जिनका निपटारा नहीं किया गया था।

(v) जीएफआर 211 (ii) (a) के अनुसार, अचल संपत्ति रजिस्टर को जीएफआर–22 के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि एनएचबी जम्मू और अहमदाबाद शाखा कार्यालय ने अचल संपत्ति रजिस्टरों का रखरखाव किया था, लेकिन इसे उचित प्रारूप में नहीं रखा गया था। एनएचबी अहमदाबाद शाखा कार्यालय द्वारा अचल संपत्ति रजिस्टर में वर्ष 2021–22 में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।

(vi) एनएचबी नासिक शाखा कार्यालय द्वारा रखी गई रोकड़ बही में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- मासिक समापन नहीं किया गया था और प्राप्ति एवं भुगतान में महीने का कुल प्रदर्शित नहीं किया गया था। साथ ही, सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि का कोई प्रमाणीकरण नहीं किया गया था।
- कार्यालय प्रमुख द्वारा औचक निरीक्षण नहीं किया गया था और इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था।
- अप्रैल 2019 से मार्च 2020 और दिसंबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए वाउचर नंबरों का उल्लेख नहीं किया गया था।

- ओवरराइटिंग की गई थी, जिसे डीलिंग स्टाफ द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

3. अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2021–22 का अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन एनएचबी मुख्य कार्यालय, एनएचबी पटना, जम्मू, भोपाल, अहमदाबाद, नागपुर, नासिक और पुणे शाखा कार्यालय के संबंध में किया गया था।

4. वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

बोर्ड ने 31 मार्च 2022 को एक ऑनलाइन स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि, वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान, एनएचबी पटना, भोपाल, अहमदाबाद, नागपुर, पूणे शाखा कार्यालयों द्वारा वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक बकाया

बोर्ड अविवादित सांविधिक देय राशि नियमित रूप से जमा कर रहा था।

ह0/–
निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरूग्राम
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र / पूंजी निधि तथा देयताएँ			
समग्र / पूंजी निधि	1	2,206,894,088	1,829,995,533
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
अभिचिह्नित / संचयी निधि	3	11,589,439	11,379,578
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थागित साख देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	384,062,916	379,175,143
योग		**2,602,546,443**	**2,220,550,254**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	32,810,810	19,730,135
निवेश –अभिचिह्नित / संचयी निधि से	9	-	-
निवेश–अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगी	11	2,569,735,633	2,200,820,119
विविध खर्च (बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया)			-
योग		**2,602,546,443**	**2,220,550,254**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुरूग्राम	हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –
दिनांक : 20.06.2022	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरूग्राम
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
विविध सेवाओं से आय	12	18,995,637	13,766,684
अनुदान/सहायिकी	13	1,068,200,000	1,017,460,000
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय (अभिचिह्नित/संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	930
अर्जित ब्याज	17	103,605,636	114,188,052
अन्य आय	18	1,198,373	1,853,388
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा डब्ल्यूआईपी	19	-	-
योग (क)		**1,191,999,646**	**1,147,269,054**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	93,906,694	87,167,291
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि	21	18,659,650	22,358,293
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	664,064,534	943,219,979
ब्याज	23	-	-
आवेदन निधि और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	12A	30,256,205	28,121,777
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध जोड़ - अनुसूची 8 के अनुसार)	8	4,872,381	2,538,114
योग (ख)		**811,759,464**	**1,083,405,454**
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क–ख)			
- आवेदन तथा प्रक्रिया शुल्क की लागत के अलावा निधियां हेतु		391,500,751	78,218,693
- आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क की लागत		(11,260,568)	(14,355,093)
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग)			-
आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर राशि से इतर के लिए समग्र/पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		391,500,751	78,218,693
आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क राशि के लिए समग्र/पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		(11,260,568)	(14,355,093)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुरूग्राम	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
दिनांक : 20.06.2022	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष	भुगतान			2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष
1. प्रारंभिक शेष			**1. व्यय (मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय के बजट से)**				
क) हाथ में रोकड़	68,876	90,295	क) स्थापना व्यय –मुख्यालय			93,681,389	107,389,500
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय –मुख्यालय			18,510,936	20,524,229
1) चालू खाते में	.	.					
2) जमा खाते में	1,174,100,000	1,065,298,777	**2. विभिन्न योजनाओं की निधियों के समक्ष किए गये भुगतान**	रा.बा.बो. की योजनाएं			
3) बचत खाते में	360,553,825	718,184,349		उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	उत्तर-पूर्वी राज्यों		
4) जमा खाते में (प्रक्रिया शुल्क/आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर खाते की लागत)	417,900,000	358,200,000					
2. प्राप्त अनुदान			1) उत्पादन एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास				
क) भारत सरकार से			– सहायिकी	269,999,500	-	269,999,500	521,997,550
1) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए			– विधिक एवं व्यावसायिक खर्च	57,000		57,000	471,000
– रा.बा.बो. के बजट से	968,200,000	1,017,460,000	2) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तारण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी	265,311,300	-	265,311,300	321,653,800
2) एनएचएम की योजनाओं के लिए			3) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण	4,776,292	200,000	4,976,292	5,434,043
– टीएसजी घटक के लिए	17,000,000	20,000,000	4) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा	702,100		702,100	190,744
			5) बागवानी संवर्धन सेवाएं/विशेषज्ञ सेवाएं	26,048,212		26,048,212	13,441,430
3) एनबीएम की योजनाओं के लिए	-	2,000,000	6) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय				
			क. स्थापना व्यय – केन्द्रों	54,236,661		54,236,661	54,518,925
4) राष्ट्रीय केसर मिशन योजनाओं के लिए	-		ख. प्रशासनिक व्यय – केन्द्रों	22,841,037		22,841,037	21,143,969
			कुल	**643,972,102**	**200,000**		
ख) राज्य सरकार से	-	-	7) चीन में चीन गार्डन के लिए व्यय			-	3,426,391

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष	भुगतान			2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष
3. निम्नवत निवेशों पर आय			8) राष्ट्रीय बम्बू मिशन (समर्थन सेवाएं)			543,089	681,733
क) अभिचिह्नित/संचयी निधि	-	-					
ख) स्वामित्व निधिया (अन्य निवेश)	-	-	9) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (टीएसजी)			16,083,569	19,370,726
			10) राष्ट्रीय केसर मिशन			-	1,440,462
4. प्राप्त ब्याज							
क) बैंक जमा और बचत बैंक खातों के लिए			11) एमओएफपीआई			-	(42)
– रा.बा.बो. निधियां	77,021,375	88,717,264					
– आवेदन निधियां	22,638,183	26,320,415	12) अंतरराष्ट्रीय हार्टि एक्सपो फ्लोरियड 2022 हेतु व्यय			16,577,154	-
– एनएचएम निधियां	86,298	351,023	**3. किए गये निवेश एवं जमा**				
– एनबीएम निधियां	50,113	47,020	क) अभिचिह्नित/बंदोबस्ती निधियों से				-
– एमओएफपीआई निधियां	-	29	ख) स्वामित्व निधियों से (अन्य निवेश)				-
– राष्ट्रीय केसर मिशन निधियां	133,561	177,292					
			4. अचल परिसंपत्तियों एवं प्रगतिधीन कार्य पर पूंजीगत व्यय				
ख) ऋण, अग्रिम आदि	.	.	क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद/संवर्धन				
			1. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय–मुख्यालय के बजट से			1,876,000	438,983
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			2. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय–केन्द्र के बजट से			219,330	825,072
आईओबी से किराया	1,088,823	1,755,144					
आयकर की वापिसी	-	-	ख) प्रगतिधीन कार्य पर पूंजीगत व्यय			-	-
आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत	18,995,637	13,766,684					
विविध प्राप्तिया	993,214	3,356,166	**5. अधिशेष धन/ऋण की वापसी**				
जमा की गई जमानत राशि – राबाबो	700,000	1,225,000	क) भारत सरकार को			-	-
जमा की गई जमानत राशि – केसर पार्क	-	400,000	– कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष	भुगतान			2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष
प्रतिभूति जमा	50,054	-	– आंतरिक प्रोद्भवन से			18,591,504	276,971,030
बैंक प्रभार– केसर पार्क	118	-	– सहायता–अनुदान से			436,028	330,312
			– एमओएफपीआई को			-	1,456
6. उधार ली गई राशियां	-	-	ख) राज्य सरकार को			-	-
			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को			-	-
7. अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दे)			**6. बैंक द्वारा स्रोत पर काटा गया टीडीएस**			6,621,474	5,441,384
क) अग्रिमों की वसूली (ब्याज सहित)	41,197	1,708,029					
ख) रा.बा.बो. योजनाओं के तहत ऋण की वसूली	-	-	**7. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)**				
ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत			स्टाफ को अग्रिम			.	.
विभिन्न योजनाओं के तहत			वापिस की गई जमानत राशि– राबाबो			177,000	415,000
लाभार्थियों जिन्हे पिछले वर्ष में			वापिस की गई जमानत राशि– केसर पार्क			-	400,000
निधियां जारी की गई थी से वापस प्राप्त अव्ययित निधियां			पूर्वदत्त व्यय			-	441,281
– उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए	-	43,955	एनसीसीडी, डीडब्लूडी एवं नॉवोड बोर्ड की ओर से व्यय			2,066,746	4,361,946
– उत्तर–पूर्वी राज्यों के अलावा	14,570,676	2,263,231	सुरक्षा जमा राशि			-	282,610
घ) अन्य से वसूली	78,876	773,035	प्राप्य राशि			-	64,190
			अन्य को भुगतान			1,089,745	-
8. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी– रा.बा.बो.	13,964,241	27,972,764	**8. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत से भुगतान**				
			– संविदागत डाटा एंट्री आपरेटरों को भुगतान			13,396,230	13,432,819
9. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी (आवेदन शुल्क)	2,661,652	9,301,295	– कोल्ड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क			2,525,200	1,103,300
			– विशेषज्ञों का यात्रा व्यय एवं परामर्शी शुल्क			73,091	17,592
			– कार्यालय एवं विज्ञापन व्यय हेतु भुगतान			3,938,835	-
10. नॉवोड बोर्ड	2,458,718	1,133,036	– वेबसाइट व सॉफ्टवेयर की एएमसी			4,814,400	3,881,897
			– बैंक प्रभार			393,023	235,720

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष	भुगतान			2021-22 वर्तमान वर्ष	2020-21 पिछला वर्ष
11. डीडब्लूडी	284,911	-	– वेतन एवं भत्ते (30 प्रतिशत)			6,238,698	6,978,561
			– पट्टे की दुकानों के लिए भुगतान			484,038	614,491
			– अचल परिसंपत्तियां			11,386,814	-
			9. अंत शेष				
			क) हाथ में रोकड़				
			मुख्यालय पर		12,653		
			राबाबो केन्द्रों पर		63,176	75,829	68,876
			ख) बैंक शेष				
			1) चालू खातों में				
			2) जमा खातों में (राबाबो की आंतरिक प्रोदभुत राशि)			1,233,800,0001	1,174,100,000
			3) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क राशि/आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत)			427,900,000	417,900,000
			4) बचत खातों में				
			– रा.बा.बो. केन्द्रो पर – अग्रदाय राशि		7,901,095		
			– मुख्यालय पर				
			– रा.बा.बो. योजनाओ एवं आंतरिक प्रोदभूत हेतु		530,337,766		
			– आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत के लिए		18,199,511		
			– एनएचएम योजना के लिए		5,412,601		
			– एनबीएम योजना के लिए		1,199,044		
			– एमओएफपीआई फंड		-		
			– राष्ट्रीय केसर मिशन के लिए		4,471,721		
			– एनएचएम दिल्ली केन्द्र के लिए		364,626		
			– एनबीएम दिल्ली केन्द्र के लिए		81,760	567,968,125	360,553,825
योग	**3,093,640,349**	**3,360,544,804**	**योग**			**3,093,640,349**	**3,360,544,804**

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20.06.2022

हस्ता./–
प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
लेखा अधिकारी

प्राप्ति तथा भुगतान लेखा
वर्ष 2021–22 के लिए स्थापना व्यय

अनुसूची–1

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	ईपीएफ बोर्ड की भागीदारी	11,570,201	11,748,028
2	छुट्टी नकदीकरण	8,959,530	13,581,072
3	छुट्टी यात्रा रियायत दावे	272,842	222,484
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,198,783	6,166,487
5	वेतन एवं भत्ते	53,412,793	55,297,701
6	कर्मचारी कल्याण	284,661	414,894
7	बोनस व अन्य भत्ता	2,000	30,000
8	बच्चों का शिक्षा भत्ता	729,000	783,000
9	परामर्शदाता को भुगतान	469,247	-
10	वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान	13,782,332	19,145,834
	कुल	**93,681,389**	**107,389,500**

वर्ष 2021–22 के लिए प्रशासनिक व्यय

अनुसूची–2

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	विद्युत और जल व्यय	1,481,132	1,573,987
2	कम व अधिक	-	0
3	जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण	646,189	623,227
4	बीमा	27,800	21,864
5	मरम्मत एवं रखरखाव	653,451	942,938
6	सुरक्षा प्रभार तथा गृह–व्यवस्था व्यय	6,496,702	6,753,723
7	वाहन का चालन तथा अनुरक्षण	18,462	29,713
8	डाक, दूरभाष ओर संचार प्रभार	636,997	585,772
9	मुद्रण तथा स्टेशनरी	1,525,332	1,337,108
10	वाहन व यात्रा	1,549,527	2,234,169
11	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	18,414	16,133
12	कार्यालय व्यय	268,849	502,326
13	बैठक/सत्कार पर व्यय	74,267	405,437
14	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक /शुल्क	1,133,929	701,055
15	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	2,436,672	1,966,770
16	विज्ञापन तथा प्रचार	612,728	451,572
17	फोटोकापी प्रभार	602,148	1,502,738
18	संपत्ति कर	176,418	196,020
19	कोविड 19 व्यय	68,918	307,899
20	बैंक प्रभार	4,193	-
21	राजभाषा संवर्धन व्यय	78,809	371,778
	कुल	**18,510,936**	**20,524,229**

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरूग्राम
31 मार्च, 2022 को
तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची–1

(राशि रुपयों में)

समग्र / पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष				
क. प्रक्रियां शुल्क और आवेदन प्रपत्र लेखा के अलावा निधियों हेतु	**1,380,727,446**		**1,563,391,005**	
जोड़े / (घटाएं) : आय एवं व्यय लेखें से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	391,500,751		78,218,693	
जोड़े : पुराने चैकों की वापिसी / (निरस्त)			116,234	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (केन्द्रों में)			-	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (मुख्यालय में)	14,570,676		2,307,186	
घटाएं : भारत सरकार को वापिस की गई निधि	2,307,186		221,131,136	
घटाएं : आयकर / टीडीएस वापिसी	-		-	
घटाएं : अन्य वसूली योग्य	-		-	
घटाएं : डीए एंड एफडब्लू को देय ब्याज	15,605,117		16,284,318	
घटाएं : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	22,867,029	1,746,019,540	25,890,218	**1,380,727,446**
ख. प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क लेखा हेतु	**449,268,087**		**437,732,962**	
जोड़ें : आयकर / टीडीएस वापिसी	-		-	
जोड़े : अन्य वसूली योग्य	-		-	
जोड़ें : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	22,867,029		25,890,218	
जोड़े / (घटाएं) : आय एवं व्यय लेखें से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	(11,260,568)	460,874,548	(14,355,093)	**449,268,087**
वर्ष के अंत में शेष		**2,206,894,088**		**1,829,995,533**

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20.06.2022

हस्ता. / –
प्रबंध निदेशक

हस्ता. / –
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. / –
लेखा अधिकारी

अनुसूची–2

(राशि रुपयों में)

आरक्षित तथा अधिशेष	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-		-
2. पूर्नमूल्यांकन आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				-
3. विशेष आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-		-
4. सामान्य आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-		-
योग	-		-	

स्थान : गुरूग्राम	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
दिनांक : 20.06.2022	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरूग्राम
31 मार्च, 2022 को
तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची–3

(राशि रुपयों में)

अभिचिह्नित / संचयी निधियां	निधि–वार ब्यौरा				योग	
	एनएचएम योजना	एनबीएम योजना	राष्ट्रीय केसर मिशन	एमओ-एफपीआई योजना	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	5185830	1836462	4357286	0	11379578	10,644,752
						-
ख. निधियों में वृद्धि						-
i. अनुदान / चंदे	17,000,000		-	-	17,000,000	22,000,000
ii. निधियों से आय (बचत खाते पर ब्याज)	89,455	48,100	134,874	-	272,429	559,473
योग (क+ख)	**22,275,285**	**1,884,562**	**4,492,160**	**-**	**28,652,007**	**33,204,225**
ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त उपयोग / व्यय						
i. पूंजीगत व्यय :						
- अचल परिसंपत्तियां	245,110	-	-	-	245,110	492,572
- परियोजना के लिए दिया गया अनुदान	-	-		-		-
	245,110	-	-	-	245,110	492,572
ii. राजस्व व्यय :						-
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	9,676,219	496,985	-	-	10,173,204	
- बैंक शुल्क	(317)	5	(118)		(431)	76
- अन्य प्रशासनिक खर्च – टीएसजी	6,162,558	46,099	-	-	6,208,657	21,000,231
- एमएफपीआई / एचएमएनईएच / डीएसी को वापिसी	381,177	54,851	-	-	436,028	331,768
योग	**16,219,636**	**597,940**	**(118)**	**-**	**16,817,458**	**21,332,075**
कुल योग	**16,464,746**	**597,940**	**(118)**	**-**	**17,062,568**	**21,824,647**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)	**5,810,539**	**1,286,622**	**4,492,278**	**-**	**11,589,439**	**11,379,578**

नोटः उपरोक्त निवल शेष में अर्जित ब्याज शामिल है।

स्थान : गुरूग्राम	हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –
दिनांक : 20.06.2022	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	लेखा अधिकारी

अनुसूची–4

(राशि रुपयों में)

प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण				
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
- – प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		-		-
6. डिवेंचर तथा बांडस		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग	-		-	

अनुसूची–5

(राशि रुपयों में)

अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
4. बैंक:				
क. सावधि ऋण				
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		-		-
6. डिवेंचर तथा बांडस		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग	-		-	

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : गुरूग्राम हस्ता./– हस्ता./– हस्ता./–
दिनांक : 20.06.2022 प्रबंध निदेशक उप प्रबंध निदेशक लेखा अधिकारी

अनुसूची–6

(राशि रुपयों में)

आस्थगित क्रेडिट देयताएं	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियां के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां		-		-
ख. अन्य		-		-
योग	**-**		**-**	

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची–7

(राशि रुपयों में)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार :				
क. सामान हेतु	-		-	
ख. अन्य	-	-	-	-
3. अग्रिम प्राप्ति				
4. निम्न पर प्रोदभूत ब्याज किंतु देय नही				
क. प्रतिभूत ऋण/उधारियां	-		-	
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधारियां	-	-	-	
			-	
5. सांविधिक देयताएं :				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य	-	-	-	
			-	
6. अन्य वर्तमान देयताएं		30,962,161		25,170,669
योग (क)		**30,962,161**		**25,170,669**
ख. प्रावधान				
1. कराधान हेतु				
2. उपदान	94,562,553		96,053,863	
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित छुट्टी/नकदीकरण	64,088,620		63,501,029	
5. व्यापार वारंटी/दावे				
6. अन्य–संदिग्ध ऋण	194,449,582	353,100,755	194,449,582	354,004,474
योग (ख)		**353,100,755**		**354,004,474**
योग (क+ख)		**384,062,916**		**379,175,143**

स्थान : गुरूग्राम हस्ता./– हस्ता./– हस्ता./–
दिनांक : 20.06.2022 प्रबंध निदेशक उप प्रबंध निदेशक लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरूग्राम
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची–8

(राशि रुपयों में)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	वर्ष के आरंभ में लागत	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक	
			वर्ष के दौरान वर्धन		कटौतियां समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	कटौतियां समायोजन	वर्ष के अंत में कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
			30 सितम्बर से पूर्व	30 सितम्बर के बाद								
क. अचल परिसंपत्तियां												
(I) अनुदानों से												
भूमिः												
क. पूर्ण स्वामित्व		3,139,088	-	-	-	3,139,088	-	-	-	-	3,139,088	3,139,088
ख. पट्टा धारी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवनः		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	22,871,006	-	-	-	22,871,006	19,719,697	315,131	-	20,034,828	2,836,178	3,151,309
ख. पट्टे वाली भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिक्षेत्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. भूमि के सुपरढ़ांचे	10%	162,742	-	-	-	162,742	139,537	2,320	-	141,857	20,885	23,205
संयत्र मशीनरी एवं उपकरण			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	15%	822,181	-	-	-	822,181	682,056	21,019	-	703,075	119,106	140,125
फर्नीचर तथा जुड़नार	10%	18,699,138	263,525	548,138	954,308	18,556,493	13,471,858	549,207	681,498	13,339,567	5,216,926	5,227,280
कार्यालय उपस्कर	15%	22,664,347	657,786	631,968	2,167,071	21,787,030	18,321,815	774,088	2,011,362	17,084,541	4,702,489	4,342,532
कम्प्यूटर उपस्कर	40%	19,770,019	-	318,831	1,967,338	18,121,512	18,205,633	685,916	1,958,326	16,933,223	1,188,289	1,564,386
पुस्तकालय पुस्तकें	40%	2,357,073	50,398	62,215	-	2,469,686	2,222,850	86,291	-	2,309,141	160,545	134,223
ट्यूबवैल तथा जल आपूर्ति	15%	85,040	-	-	-	85,040	84,880	24	-	84,904	136	160
योग		**90,570,634**	**971,709**	**1,561,152**	**5,088,717**	**88,014,778**	**72,848,326**	**2,433,996**	**4,651,186**	**70,631,136**	**17,383,642**	**17,722,308**
(II) प्रक्रिया शुल्क और आवेदन प्रपत्र तथा स्कीम ब्राउशर शुल्क राशि से												
भवनः												
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	2,296,404	-	-	-	2,296,404	1,729,080	56,732	-	1,785,812	510,592	567,324

अनुसूची–8

(राशि रुपयों में)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	वर्ष के आरंभ में लागत	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक	
			वर्ष के दौरान वर्धन		कटौतियां समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	कटौतियां समायोजन	वर्ष के अंत में कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
			30 सितम्बर से पूर्व	30 सितम्बर के बाद								
ख. पट्टे वाली दुकानों पर		2,430,404	-	-	-	2,430,404	1,130,420	226,084	-	1,356,504	1,073,900	1,299,984
फर्नीचर एंड फिक्चरस	10%		2,765,878	5,120,224		7,886,102		532,599		532,599	7,353,503	-
इलैक्ट्रिकल फिटिंगस	10%		1,090,521	2,857,481		3,948,002		251,926		251,926	3,696,076	-
साफ्टवेयर नर्सरी पोर्टल	40%		2,950,000	-		2,950,000		1,180,000		1,180,000	1,770,000	-
नेटवर्किंग उपस्कर	40%		43,424	-		43,424		17,370		17,370	26,054	-
कार्यालय उपस्कर	15%		498,075	509,349		1,007,424		112,912		112,912	894,512	-
सोलर पैनल	40%	2,602,548	-	22,774	-	2,625,322	2,462,029	60,762	-	2,522,791	102,531	140,519
योग		**7,329,356**	**7,347,898**	**8,509,828**	**-**	**23,187,082**	**5,321,529**	**2,438,385**	**-**	**7,759,914**	**15,427,168**	**2,007,827**
वर्तमान वर्ष का योग		**97,899,990**	**8,319,607**	**10,070,980**	**5,088,717**	**111,201,860**	**78,169,855**	**4,872,381**	**4,651,186**	**78,391,050**	**32,810,810**	**19,730,135**
पिछले वर्ष का योग		**96,772,674**	**352,427**	**914,128**	**139,239**	**97,899,990**	**75,664,154**	**2,538,114**	**32,413**	**78,169,855**	**19,730,135**	**21,108,520**
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
योग		**97,899,990**	**8,319,607**	**10,070,980**	**5,088,717**	**111,201,860**	**78,169,855**	**4,872,381**	**4,651,186**	**78,391,050**	**32,810,810**	**19,730,135**

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20.06.2022

हस्ता./–
प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
लेखा अधिकारी

अनुसूची–9

(राशि रुपयों में)

अभिचिह्नित/संचयी निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		-		-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-		-
3. शेयर		-		-
4. डिबेंचर तथा बंध–पत्र		-		-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		-		-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		-		-
योग		**-**		**-**

अनुसूची–10

(राशि रुपयों में)

अन्य निवेश	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		-		--
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-		-
3. शेयर		-		-
4. डिबेंचर तथा बंध–पत्र		-		-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		-		-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		-		-
योग		**-**		**-**

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20.06.2022

हस्ता./–
प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
लेखा अधिकारी

अनुसूची–11

(राशि रुपयों में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसम्पत्तियां				
1. वस्तु सूचियां :				
क. भंडार एव कल पुर्जे	301,933		406,878	
ख. हस्तगत स्टांप	-		-	
ग. व्यापार में स्टॉक			-	
- तैयार सामान	-		-	
- कार्य प्रगति पर	-		-	
- कच्चा माल	-	301,933	-	406,878
2. विविध देनदार :				
क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया	-		-	
ख. अन्य		-		-
3. हस्तगत नगदी शेष (चैक/ड्राफट आदि सहित)		75,829		68,876
4. बैंक शेष				
क. अधिसूचित बैंको के पास :				
- चालू खातों में				
- जमा खातों में				
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	427,900,000		417,900,000	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	1,233,800,000		1,174,100,000	
- बचत खातों में (मुख्य कार्यालय)	560,067,030		351,508,931	
- बचत खातों में – अग्रदाय खाता (केन्द्रों)	7,901,095		9,032,010	
- बचत खाते में – सहायिकी खाता (केन्द्रों)	-		12,218	
- बचत खाते में –आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत (केन्द्रों)	-	2,229,668,125	665	1,952,553,825
ख. गैर अधिसूचित बैंकों के पास :				
- चालू खातों में	-		-	
- जमा खातों में	-		-	
- बचत खातों में	-		-	
5. डाक घर बचत खाता		-		-
6. पारगमन अनुदान		100,000,000		-
योग (क)		**2,330,045,887**		**1,953,029,579**

अनुसूची–11

(राशि रुपयों में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण और अग्रिम				
क. स्टाफ	1,103,132		1,139,977	
ख. निकाय के समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में रत अन्य निकाय	-		4,970	
ग. अन्य : बोर्ड की योजनाओं के तहत उधार ऋण				
- अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य				
- संदिग्ध	171,879,681		171,879,681	
		172,982,813		173,024,628
2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसुली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां				
क. पूंजी खाते में			-	
ख. पूर्व भुगतान	21,738		456,776	
ग. जमा व वसूली योग्य	5,862,034		6,544,258	
		5,883,772		7,001,034
3. अर्जित आयः				
क. निर्दिष्ट/संचयी निधि से निवेश पर	-		-	
ख. एफडीआर निवेश पर				
प्रकिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	1,151,854		986,460	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	16,582,231		16,261,754	
ग. बचत खातों पर				
प्रकिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	27,348		91,880	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	2,095,131		1,426,678	
एनएचएम का	33,310		30,154	
एनबीएम का	5,818		7,831	
राष्ट्रीय केसर मिशन	20,558		19,245	
घ. उधार ऋणों पर				
- अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-		-	
- संदिग्ध	22,569,901		22,569,901	
(अप्राप्त बकाया आय सहित)				
		42,486,151		41,393,902
4. प्राप्ययोग्य क्लेम (ब्याज और किराये पर बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटौती)		18,337,010		26,370,975
योग (ख)		**239,689,746**		**247,790,540**
योग (क+ख)		**2,569,735,633**		**2,200,820,119**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची–12

(राशि रुपयों में)

बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बिक्री से आय :				
क. तैयार माल की बिक्री	-		-	
ख. कच्चे माल की बिक्री	-		-	
ग. स्क्रेप की बिक्री	-	-	-	
			-	
2. सेवाओं से आय :				
क. प्रक्रिया शुल्क	-		-	
ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत	18,995,637	18,995,637	13,766,684	13,766,684
योग		**18,995,637**		**13,766,684**

अनुसूची–12 क

(राशि रुपयों में)

आवेदन निधि और स्कीम ब्राउशर हेतु व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर हेतु व्यय		30,256,205		28,121,777
योग		**30,256,205**		**28,121,777**

अनुसूची–13

(राशि रुपयों में)

अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार				
योजनागत व्यय				
एनएचबी बजट से	1,068,200,000		1,017,460,000	
गैर योजनागत व्यय	-		-	
		1,068,200,000		1,017,460,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)		-		-
3. सरकारी एजेंसियां		-		-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		-		-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		-		-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		**1,068,200,000**		**1,017,460,000**

स्थान : गुरूग्राम	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
दिनांक : 20.06.2022	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	लेखा अधिकारी

अनुसूची–14

(राशि रुपयों में)

शुल्क / अभिदान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रवेश शुल्क		-		-
2. वार्षिक शुल्क / अभिदान		-		-
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क		-		-
4. परामर्श शुल्क		-		-
5. अन्य		-		-
योग		-		-

अनुसूची–15

(राशि रुपयों में)

निवेशों से आय (निधियों में अंतरित निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय)	निर्धारित निधि से निवेश		निर्धारित निधि से निवेश	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-		-	
ख. अन्य बंध–पत्रों / डिबेंचरों से	-		-	
ग. अन्य (बैंको में सावधिक जमा)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों से	-	-	-	-
ख. म्यूचअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों में अंतरित	-	-	-	-

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20.06.2022

हस्ता. / –
प्रबंध निदेशक

हस्ता. / –
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. / –
लेखा अधिकारी

अनुसूची–16

(राशि रुपयों में)

रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रकाशनों से आय		-		930
2. रॉयल्टी से आय		-		-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		-		-
योग		**-**		**930**

अनुसूची–17

(राशि रुपयों में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. मियादी जमा पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से (बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस रु. 84,83,723/- सहित)	84,837,231		89,390,565	
ख. गैर अनुसूचित बैंको से	-		-	
ग. संस्थानों से	-		-	
घ. अन्य	-	84,837,231	-	89,390,565
2. बचत खातों पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से	16,041,469		18,262,662	
ख. गैर अनुसूचित बैंको से	-		-	
ग. डाक घर बचत खातों से	-		-	
घ. अन्य – केन्द्रों पर	-	16,041,469	-	18,262,662
3. ऋणों पर :				
क. कर्मचारियों/स्टाफ से	2,168		4,181	
ख. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से वसूली योग्य सेवा शुल्क	-		-	
ग. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क	-		-	
		2,168		4,181
4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज		2,724,768		6,530,644
योग		**103,605,636**		**114,188,052**

स्थान : गुरूग्राम	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
दिनांक : 20.06.2022	**प्रबंध निदेशक**	**उप प्रबंध निदेशक**	**लेखा अधिकारी**

अनुसूची–18

(राशि रुपयों में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:				
क. स्वयं की परिसंपत्तियां	-		-	
ख. अनुदानों से अभिग्रहित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-		-	
		-		-
2. प्राप्त किराया		1,088,823		1,755,144
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		-		-
4. विविध आय		109,550		98,244
5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार/दंड ब्याज				
6. अन्य प्राप्ति		-		-
योग		**1,198,373**		**1,853,388**

अनुसूची–19

(राशि रुपयों में)

तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. अंतिम स्टॉक				
क. तैयार माल				
ख. कार्य प्रगति पर				
		-		-
2. घटाएं : प्रारभिक स्टॉक				
क. तैयार माल				
ख. कार्य प्रगति पर				
		-		-
शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1–2)		**-**		**-**

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20.06.2022

हस्ता./–
प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
लेखा अधिकारी

अनुसूची–20

(राशि रुपयों में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वेतन एवं भत्ते		53,412,793		54,060,783
ख. अन्य भत्ते तथा बोनस		6,651,128		7,762,027
ग. भविष्य निधि में अंशदान		11,570,201		11,748,028
घ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय		298,081		417,378
ङ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ		21,383,370		13,179,075
च. परामर्शदाता को भुगतान		591,121		-
योग		**93,906,694**		**87,167,291**

अनुसूची–21

(राशि रुपयों में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. विद्युत तथा ऊर्जा		1,446,720		1,622,747
ख. जनरेटर चालन तथा रखरखाव		685,722		657,117
ग. बीमा		21,557		21,910
घ. मरम्मत एवं अनुरक्षण		754,648		1,033,382
ङ सुरक्षा प्रभार तथा गृह व्यवस्था पर व्यय		6,481,971		7,308,399
च. वाहन चालन तथा अनुरक्षण		18,692		29,226
छ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		608,015		602,362
ज. मुद्रण तथा स्टेशनरी		1,632,087		1,656,657
झ. यात्रा तथा वाहन व्यय		1,545,490		2,237,463
ञ. समाचार–पत्र एवं पत्रिकाए		19,036		16,285
ट. कार्यालय व्यय		244,517		497,876
ठ. बैठक/सत्कार संबंधी व्यय		74,199		404,321
ड. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/शुल्क		1,133,929		701,055
ढ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		2,371,560		2,633,830
ण. विज्ञापन और प्रचार		612,728		451,572
त. फोटोकापी व्यय		654,558		1,608,394
थ. संपत्ति कर		176,418		196,020
द. टीडीएस पर ब्याज		52		-
ध. पुस्तकें और पत्रिकाएं		1,500		-
न. राजभाषा संवर्धन व्यय		78,809		371,778
प. कोविड़ –19 व्यय		68,918		307,899
फ. नीलामी पर कमीशन		24,332		-
ब. बैंक प्रभार		4,193		-
योग		**18,659,650**		**22,358,293**

स्थान : गुरूग्राम	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
दिनांक : 20.06.2022	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	लेखा अधिकारी

अनुसूची–22

(राशि रुपयों में)

अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान				
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु)				
i) व्यावसयिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	269,999,500		513,978,050	
- उदार ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय	67,500		471,000	
ii) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	265,311,300		292,573,800	
iii) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास/संवर्धन	4,777,496		5,284,043	
iv) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा	-		190,744	
v) बागवानी संवर्धन सेवाएं	28,397,661		13,984,030	
vi) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय				
क. स्थापना व्यय – केन्द्र	54,236,661		54,518,925	
ख. प्रशासनिक व्यय – केन्द्र	24,497,262		21,543,496	
vii) बीजिंग चीन में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी पर खर्च	-		3,426,391	
viii) इंटरनेशनल हार्टि एक्सपो फ्लोरिएड 2022– नीदरलैंड्स	16,577,154		-	
व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम सहित हेतु)				
i) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	-		8,019,500	
ii) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	-		29,080,000	
iii) बागवानी के संर्वान हेतु प्रौद्योगिकी विकास/ हस्तांतरण	200,000	664,064,534	150,000	943,219,979
योग		**664,064,534**		**943,219,979**

टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं :–

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेदारी/स्वामित्व फर्में, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फैडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्रो–इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं. 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी–वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, एमओएफपीआई योजनाओं और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।

स्थान : गुरूग्राम	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
दिनांक : 20.06.2022	**प्रबंध निदेशक**	**उप प्रबंध निदेशक**	**लेखा अधिकारी**

अनुसूची–23

(राशि रुपयों में)

ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. स्थायी ऋणों पर				-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)				-
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				-
योग		-		-

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20.06.2022

हस्ता./–
प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन परिपाटी**

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। मार्च 2022 के महीने के वेतन का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि यह अगले वर्ष में देय है।

2. **वस्तु सूचियों का मूल्यांकन**

भंडार, कलपुर्जों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

3. **निवेश**

लागू नहीं

4. **उत्पाद शुल्क**

लागू नहीं

5. **अचल परिसंपत्तियां**

अचल परिसंपत्तियों को आवक माल ढुलाई सहित अधिग्रहण की लागत, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्ययों की लागत पर दर्शाया गया है।

6. **मूल्यह्रास**

(क) मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर मुहैया करवाया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुहैया करवाया गया है।

7. **विविध व्यय**

लागू नहीं

8. **बिक्री हेतु लेखांकन**

लागू नहीं

9. **सरकारी अनुदान/सहायिकी**

(क) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त सहायता–अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने पत्र सं. 12–18/2020–एमआईडीएच (एनएचबी) दिनांक 31.03.2022 के तहत रु. 10.00 करोड सामान्य सहायता अनुदान स्वीकृत और जारी किया है जो 2 अप्रैल, 2022 को एनएचबी द्वारा बैंक खाता संख्या 193501000000101 में प्राप्त किया गया था। 31.03.2022 को इसे पारगमन सहायता अनुदान के रूप में दिखाया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता–अनुदान को निर्दिष्ट निधियों में दर्ज किया गया है।

(घ) गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के साथ–साथ विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रकृति वाला कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

10. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन को तत्संबंधी लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं।

11. लीज

लीज रेंटल्स को लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

12. सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय उपदान संबंधी देयता का प्रोदभवन मूल्यांकन पर लेखांकित किया गया है।

(ख) कर्मचारियों के लिए संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोदभूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. राजस्व मान्यता

(क) एफडीआर, बचत बैंक खाता पर ब्याज जैसी आय (बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र के साथ–साथ आयकर विभाग के 26 एएस) को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त शेषों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की वापस की गई अप्रयुक्त धनराशि को समग्र/पूंजी निधि में दर्ज किया गया है।

स्थान : गुरूग्राम	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
दिनांक : 20.06.2022	**प्रबंध निदेशक**	**उप प्रबंध निदेशक**	**लेखा अधिकारी**

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

1.2 निम्न के मामले में –

- निकाय की ओर से/द्वारा दी गई बैंक गारंटियां– रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख–पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगेः

- बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- न्यायालय मामले रु. 3.00 करोड़ (लगभग) (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

1.4 आदेशों के गैर–निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम का निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन–पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

5. कराधान

क) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv) के तहत निर्धारण वर्ष 2008–09 तक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) को अधिसूचित किया गया था। एन.एच.बी. ने निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2010–11, 2011–12 से 2013–14 और 2014– 2015 और आगे के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv) के तहत छूट के नवीकरण के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया, परन्तु आयकर प्राधिकारियों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। बोर्ड ने आयकर प्राधिकारियों के फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की हैं। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय प्रतीक्षित है। बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत आयकर

प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है। एन.एच.बी., आयकर विभाग में शून्य आय की अपनी आयकर रिर्टन (आईटीआर) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23c)(iv) के अनुपालन हेतु धर्मार्थ संस्थान द्वारा अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ समय से प्रतिवर्ष दाखिल कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (निर्धारण वर्ष 2022–23 संबंधित) के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक, एनएचबी ब्रांच, गुरूग्राम द्वारा एन.एच.बी. की सावधि जमा के ब्याज/किराये पर टीडीएस राशि रु. 85,91,928/– काटी गई है जो आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर रिर्टन दाखिल करने के समय रिफंड के रूप में दावायोग्य है। एन.एच.बी. को निर्धारण वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 व 2020–21 का आयकर प्राधिकारियों से रिफंड प्राप्त हुआ है जो आयकर विभाग द्वारा आय को शून्य मानते हुए वर्ष के दौरान किराया रसीदों और एफडीआर(ओं) के अर्जित ब्याज पर टीडीएस के रूप में काटा गया था।

ख) बोर्ड ने 31 दिसंबर 2021 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए फॉर्म संख्या 10 ए में आवेदन किया है। प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त ने 07.01.2022 को निर्धारण वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक 5 (पांच) वर्षों के लिए बोर्ड के पंजीकरण का आदेश दिया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 सीआईएफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य

– तैयार माल की खरीद	शून्य
– कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित)	शून्य
– पूंजीगत वस्तुएं	शून्य
– भंडार, कलपुर्जे तथा उपभोज्य	शून्य

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क. यात्रा व्यय	शून्य
ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान	शून्य
ग. प्रौद्योगिकी जागरुकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान	शून्य
घ. अन्य व्यय:	
– बिक्री पर कमीशन	शून्य
– विधिक तथा व्यावसायिक व्यय	शून्य
– विविध व्यय	शून्य

6.3 आय

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य

6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

– लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में	शून्य
– जेब खर्ची व्यय	शून्य

– कराधान मामले शून्य

– अन्य शून्य

7. आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत के कारण संचयी निधि और आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत से सृजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।

8. सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल उदार ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।

9. उन उदार ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बाबो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, एन.एच.बी. की पूर्ववर्ती सॉफ्ट लोन योजना के तहत वसूली शून्य है।

10. लाभार्थियों द्वारा देयों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखे में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. उदार ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमें दायर किए हैं। 31.03.2022 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 19,44,49,582/– रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

12. सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।

13. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने (फरवरी 2017) में अस्थायी तौर पर (सितम्बर 2016 में परिसमाप्त हुए) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नॉवोड) की भूमि व भवन को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और एनएचबी को अपने बजट में से सुरक्षा स्टाफ, बिजली व्यय आदि की मजूदरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जिसके लिए एन.एच.बी. को बाद में फंड हस्तांतरित किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक नॉवोड की ओर से राशि रु. 8,46,715/– देय है जिसे लेखा बहियों में दिखाया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि गेहूं विकास निदेशालय (डीडब्ल्यूडी), गाजियाबाद अपने कार्यालय को सेक्टर –18, गुरुग्राम स्थित भवन पूर्व नोवोड बोर्ड में स्थानांतरित करने जा रहा है और भवन की सुरक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखने का अनुरोध किया है। डीडब्ल्यूडी की ओर से राशि रु. 1,48,443/– का भुगतान किया गया है और यह 31 मार्च 2022 तक वसूली योग्य है जिसे लेखा बहियों में दिखाया गया है।

14. पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

15. आंकडों को निकटतम रूपए में पूर्णाकित किया गया है।

16. 31 मार्च, 2022 तक के तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ संलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान : गुरूग्राम	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
दिनांक : 20.06.2022	**प्रबंध निदेशक**	**उप प्रबंध निदेशक**	**लेखा अधिकारी**

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

CONTENTS

PREFACE

1. INTRODUCTION

1.1 Vision

1.2 Mission

1.3 Objectives

2. THE ORGANIZATION

2.1 Board of Directors

2.2 Managing Committee

3. RESOURCES

3.1 Our People

3.2 Our Network

3.3 Our Infrastructure

4. FUNDING

5. SCHEMES/PROGRAMMES

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post- Harvest Management of Horticulture Crops

5.1.1 Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode

5.1.2 Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode

5.1.3 Integrated Post Harvest Management projects

5.1.4 Achievements

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storage and Storages for Horticulture Produce

5.2.1 Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone

5.2.2 Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment

5.2.3 Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere

5.2.4 Technology induction and modernization of cold chain

5.2.5 Achievements

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

5.3.1 Objectives

5.3.2 Components & Pattern of Assistance

5.3.3 Achievements

5.4 Market Information Service for Horticultural Crops

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capabilities of NHB

HIGHLIGHTS : 2021-22

1. Promotion of Commercial Horticulture

a) Commercial Horticulture- Open Cultivation

b) Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables

c) Support to Post-Harvest Management

d) Supplementary Activities

2. Creation of Cold Storage Capacity

3. Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

a) Capacity Building Programmes

b) Quality Planting Material

4. Gwalior Centre of NHB, Inauguration by Hon'ble Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri Narendra Singh Tomar Ji on 1st July 2021

5. Celebration of Vigilance Awareness Week

6. Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition

New initiatives taken by NHB during the period of Report:

I) Horticulture Cluster Development Programme

II) National Nursery Portal

ANNEXURES

I. Objectives of the National Horticulture Board

II. List of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2022

III. Staff Position as on 31.03.2022

IV. List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address

V. Annual Accounts of the Board for the year 2021-22

PREFACE

It is a matter of pride to place it on record that during 2021-22 horticulture sector in the country has recorded a production of 331.05 MT which is highest ever in the history of Indian Horticulture. India retains its position as the 2nd largest producer of Fruits and Vegetables globally. This demonstrates willingness and risk taking entrepreneurship of Indian farmers to accomplish the task of production of perishable horticulture produce and contribute towards food and nutritional security of the Nation.

NHB has played a multidimensional role in achieving this milestone by providing support to the farmers and entrepreneur for improved quality production, post harvest management and value addition through its broad based entrepreneur driven innovative schemes. Since its inception in 1984, NHB has contributed immensely to horticulture sector with its initial journey of development hi-tech commercial horticulture and cold chain infrastructure by launching of soft loan schemes during 1993 and introduction of credit linked back end subsidy schemes in the year 2000. Since 2014-15 onwards, NHB has been brought under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) to accelerate planned development of commercial horticulture and post harvest management infrastructure in the country.

Some of the highlights of the horticulture development with financial assistance from NHB during the year include establishment of 274 numbers of commercial horticulture projects in an area of 679.48 hectare, 33 post-harvest management and hi-tech commercial units and establishment of 34 cold storage units with a storage capacity of 2.88 lac metric tonnes.

In order to address the challenges and enhance the global competitiveness of the Indian horticulture sector, the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, has launched the Horticulture Cluster Development Programme (CDP). It is a Central Sector programme, to be implemented by the National Horticulture Board. The programme will aim to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains.

In order to ensure availability of quality planting material in the country, during the year under report, NHB has completed the process of establishment of National Nursery Portal. This portal will facilitate nursery owners to showcase their capabilities to supply quality planting material to the horticulture growers and to help the buyers in procuring the quality planting material of different crops of their choice in nearby localities and across the States. This platform will provide real time visibility of stock inventory including demand and supply of planting material as well as projected demand.

I must place it on record that these achievements of the Board in the field of Horticulture would not have been possible without the visionary guidance of Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare & President of the Board Shri Narendra Singh Tomar and all the Members of Board of Directors of NHB. I am especially thankful to Shri Sanjay Agarwal, Secretary DA&FW & Chairman of Managing Committee and its members for their regular guidance and support. I also appreciate the excellent support rendered by the team of officers and staff of NHB has in achieving the objectives of the Board.

(PRIYA RANJAN)
Managing Director

1. INTRODUCTION

National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 as an Autonomous organization under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and registered as a society under Societies Registration Act with its headquarters at Gurugram. Presently, NHB has 29 field offices located all over the country. The broad aims and objectives of the Board are to develop production clusters/hubs for integrated hi-tech commercial horticulture, development of Post-harvest and cold chain infrastructure, ensuring availability of quality planting material and to promote adoption of new technologies/tools/ techniques for Hi-tech commercial horticulture etc.

1.1 Vision

- Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects has been visualized.
- This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in the Country; creation of post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export.
- With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

1.2 Mission

- To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material.
- To promote investment in Post-Harvest Management and Cold Chain infrastructure.
- To promote development and transfer of technology for quality production.
- Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stake holders and credit institutions.

1.3 Objectives

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at **Annexure-I**.

2. THE ORGANIZATION

2.1 Board of Directors

The overall management of all the activities of NHB is supervised by "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare as its Vice-President. The composition of the Board of Directors is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare	President (Ex-Officio)
2.	Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare	Vice-President (Ex-Officio)
3.	Union Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Director General, Indian Council of Agriculture Research	Member (Ex-Officio)
5.	Additional Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
7.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
8.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
9.	Advisor (Agriculture), Niti Aayog	Member (Ex-Officio)
10.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
11.	A representative of Ministry of Food Processing Industry (MoFPI) or any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President	Member (Ex-Officio)
12.	11 Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.)	Non Officials Members
13.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

A list of Members of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2022 is given in **Annexure-II**.

2.2 Managing Committee

The Union Secretary (Agriculture & Farmers Welfare) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Supervision, Direction and Control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Chairman (Ex-Officio)
2.	Additional Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
3.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
5.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
7.	General Manager, National Bank for Agriculture and Rural Development	Member (Ex-Officio)
8.	A representative of Farmers (To be nominated by the Central Govt.)	Member
9.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

3. RESOURCES

3.1 Our People

Managing Director is the Principal Executive of the Board who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled up posts are given at **Annexure-III**.

3.2 Our Network

The Head Office of the Board is situated at Gurugram, Haryana. Besides, there are 29 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at **Annexure-IV**.

3.3 Our Infrastructure

1. A sprawling well maintained green campus of 5.4 acres.
2. Fully computerized work environment at Head Office and in field offices.
3. Well equipped Library having wide range of horticultural publications.
4. Committee Halls and Canteen Facilities at Head Office.

4. FUNDING

The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid. The details of the funds received and expenditure incurred under various Schemes during the year 2021-22 are given hereunder: -

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Name of Scheme	Grant Received	Unspent Balance as on 01.04.2021	Total fund available	Expenditure incurred
1.	NHB	10682.00#	1878.83*	12560.83	7750.37
2.	NHM (TSG)	170.00	51.86	221.86	160.84
3.	NBM (TSG)	--	18.37	18.37	5.43

*** An amount of Rs 185.91lakh was refunded to DAC&FW during the year 2021-22 (on account of unspent balance prior to 2020-21, call back subsidy and interest earned)**

 # Rs. 1000.00 lakhs received in NHB's Bank Account on 02.04.2022

5. SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various innovative programmes/schemes to promote large scale adoption of modern package of practices and processing/value addition in horticultural crops. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create post-harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for Production and Post Harvest Management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2021-22 are given hereunder:-

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops

Under this scheme, projects for establishment of commercial production units in open fields as well as under protected conditions, post-harvest management and primary processing units are eligible for financial assistance.

Description of Components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
5.1.1	Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode	National Horticulture Board considers integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertilization, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres). Integrated production unit on Mushroom and tissue culture are also eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. are also eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/projects to increase productivity.	Credit linked back-ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly States and Scheduled areas.
5.1.2	Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode	Commercial horticulture development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertilization, mechanization, etc. for projects having area over 2500 sq. meter are being considered. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti bird /hail nets etc. are eligible for assistance. However, for availing subsidy, all material/ technology should conform to prescribed standards.	Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs 56.00 lakh per project as per admissible cost norms. (Board is permitted to take up projects under protected cultivation in an area of 1000 sqm. and above in NE States).
5.1.3	Integrated Post Harvest Management projects	i) Integrated Post Harvest Management projects relating to Pack House, Ripening Chamber, Reefer Van, Retail Outlets, Pre-cooling unit, etc. are assisted under this component. NHB also accepts standalone projects of PHM in component mode.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs 50.75 lakh per project in general area and @ 50 % of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE Reign Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.

		ii) Primary processing units of fruits, vegetables, flowers, cashew and aromatic plants only.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of cost limited to Rs.8.75 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 12.50 lakh per project in NE Regean Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.

5.1.4 Achievements

Under the schemes, the Board has sanctioned 125 projects during the financial year and released subsidy of Rs. 2700.57 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Pack House and Grading Centres, Ripening Chambers, Reefer van, Pre-cooling units, Cold Room, Primary Processing units etc.

OPEN FIELD CULTIVATION

Grape cultivation in open field in Belagavi Distt (Karnataka)

Mango cultivation in open field in Khandwa District (Madhya Pradesh)

Banana cultivation in open field in Kanker District (Chattisgarh)

Grape cultivation in open field in Nashik District (Maharashtra)

PROTECTED CULTIVATION

Anthurium cultivation under poly house in Shimoga District (Karnataka)

Colour Capsicum under poly house in Chikkaballapur District (Karnataka)

Capsicum cultivation under poly house in Indore District (MP)

Anthurium cultivation under poly house in Hassan District (Karnataka)

PROTECTED CULTIVATION

Coloured Capsicum cultivation under poly house in Vijayawada District (A.P.)

Rose cultivation under poly house in Mahasamund District (Chattisgarh)

Coloured Capsicum cultivation under poly house in Krishnagiri District (T.N.)

PROTECTED CULTIVATION

Rose Cultivation in Poly House with infrastructure in Guntur District (Andhra Pradesh)

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component.

Description of components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Items	Pattern of Assistance
5.2.1	Cold Storage unit Type 1 – basic mezzanine structure with large chamber (>250 MT) type with single temperature zone	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:- • @Rs. 8000/MT for capacity up to 5000 MT • @Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT	Credit linked back-ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE Regian Hilly States and Scheduled Areas) for capacity above 5000 MT. For calculation of capacity 3.4 cubic meters (cum.) (120 cubic feet {cft}, of chamber volume shall be considered equivalent to 1 MT storage capacity. (Board is permitted to take up cold storage projects in NE Regian Area for
5.2.2	Cold Storage unit Type 2 – PEB type for multiple	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:- • @Rs. 10000/MT for capacity up to	

	temperature and product use, more than 6 chambers of <250 MT and basic material handling equipment	5000 MT • @Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT	capacity of 1000 MT or above). However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.
5.2.3	Cold Storage unit Type 2 with add on technology for Controlled Atmosphere	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per Type 2 rates given above:- Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology as per component wise cost.	
5.2.4	Technology induction and modernization of cold-chain	• @Rs. 5000/MT for capacity between 5001 to 10000 MT • Components of modernization include PLC equipment, packaging line, dock levelers, advance graders, alternate technologies, stacking system, modernization of insulation and refrigeration etc.	

5.2.5 Achievements

Under the scheme, the Board has sanctioned 16 projects of Cold Storages/CA Storages during the financial year under report and released subsidy of Rs. 2653.11 lakh for creation of capacity of 109111.68 MT.

COLD STORAGE

NHB Assisted Unit of M/s River Cold Storage LLP in District Cachar (Assam)

NHB assisted unit of M/s Sri Varalakshmi Cold Storage in Dist- Guntur (Andhra Pradesh)

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

5.3.1 Objectives

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption shall be undertaken through following sub-components:

5.3.2 Components & Pattern of Assistance

Sr. No.	Components	Pattern of Assistance
i	Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Project based - 100% and only through Govt. agency/Public Sector @ Rs.100.00 Lakh/ha. for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc.
ii	Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Project based - 100% and only through Govt. agency/PSUs @ Rs.50.00 lakh/project.
iii	Import/procurement of Machines and Tools for horticulture for demonstration purpose	Rs. 50.00 lakh/machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/ Public Sector. Proposals of Growers Associations promoted by NHB and Co-operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors.
iv	Development & Transfer of Technology:- (i) Pilot project for introduction of new farm input and appropriate technologies etc. for promoting high quality commercial production or increase in productivity. (ii) Development and introduction of new protocol relating to PHM, Cold Chain, Primary processing, Bio-technology and introduction of new tools/ equipment/machineries for PHM, storage including cold chain system and handling. (iii) R &D projects for solving specific problems related to production, PHM, packaging, storage, handling and transport.	Up to Rs.25.00 lakh/project as 100% of total cost and only through Govt. agency/ PSU
V	Long Distance Transport Solution component to facilitate long distance	Project based Rs 2000.00 lakh

	transportation and bulk movement of horticulture products through rail etc.	
vi	Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs	100% of cost by Central Nodal Agency @Rs. 25.00 lakh
vii	Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual, 100% of the cost
viii	Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant, 100% of air / rail travel and course fee
ix	Organization/participation in seminars/ workshops/exhibitions etc. for development of horticulture	(i) The financial assistance is limited up to Rs.10.00 lakh for International event (3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (ii) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to: • Rs.1.00 lakh per event for State Level event, • Rs. 2.00 lakh for National level event and • Rs 3.00 lakh for International event (for organizations/participation of international event within India).
x	Accreditation and Rating of Fruit & Vegetables Nurseries	Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB)

5.3.3 Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 16 projects/events for Introduction of New Technology, Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/ Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs.49.76 lakhs.

State Level Seminar on Smart Horticulture Organized by NHB Guwahati on 27.01.2022 at KVK, Tirap, Deomali (Arunachal Pradesh)

ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES

Vegetables Nursery in Belgaum District (Karnataka)

Fruit Plant Nursery in District Ranchi (Jharkhand)

Vegetable Nursery in District Mehsana (Gujrat)

Fruit Plant Nursery in District Srinagar (J&K)

5. 4 Market Information Service Scheme for Horticulture Crops

This scheme deals with work of computerization, development of technology package, data feeding, information dissemination through publicity, printed literature local advertisements etc. Scheme provides for engagement of outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer, Data Entry Operators and Horticulture Assistants as per need at approved rates under TSG component of MIDH. An amount of Rs. 779.99 lakh has been incurred under the scheme including Mission Management & Administrative Expenses for NHB Centers.

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys are carried and study/ survey reports are published for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories may be set up or cause to be set up and provide technical services including advisory and consultancy services.

This component is executed by NHB with its own man-power and also with services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/ NHRDF, etc.

An amount of Rs 260.48 lakh has been incurred under Horticulture Promotion Service scheme and Rs.1140.68 lakh incurred under Mission Management & Administrative Expenses for Head Office.

HIGHLIGHTS : 2021-22

1. Promotion of Commercial Horticulture

a) **Commercial Horticulture- Open Cultivation:** 35 commercial horticulture projects of various fruits, spices and aromatic plants in open cultivation conditions in project mode by providing subsidy of Rs. 237.0531 lakh involving an area of 476.09 acres.

b) **Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables:** 81 projects of flowers and vegetables under protected conditions by providing subsidy of Rs. 2454.198 lakh involving area of 122.47 acres.

c) **Support to Post-Harvest Management :** 03 projects for creation of Grading packing units, Pack house, Cold Room etc. with an amount of Rs. 26.76 lakh.

d) **Supplementary activities:** 06 projects of Mushroom Projects etc. involving a subsidy amount of Rs 132.71 lakh

2. Creation of Cold Storage Capacity

a) NHB has assisted 16 Cold Storages/CA Stores involving a subsidy amount of Rs. 2653.11 lakh for creation of 109111.68 MT capacity.

3. Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture

a) **Capacity building Programmes:** Organized/supported 16 programmes of various activities viz. Participation in Seminars/Symposia/Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries.

b) **Quality Planting Material:** System of Accreditation and Rating of fruit and vegetable nursery has been started since 2008-09. During the year 2021-22, Board has accredited 305 nurseries.

4. Gwalior Centre, NHB Inauguration by Hon'ble Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri Narendra Singh Tomar Ji on 1st July 2021

5. Celebration of Vigilance Awareness Week

6. Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition

New initiatives taken by NHB during the period of Report :

I. Horticulture Cluster Development Programme

To address the challenges and enhance the global competitiveness of the Indian horticulture sector, the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, launched the Central Sector Programme namely, Cluster Development Programme (CDP) on 31st May 2021to be implemented by the National Horticulture Board (NHB).

CDP aims to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains. Grant Thornton Bharat LLP has been appointed as Programme Management Unit (PMU)by the NHB to drive the programme and support in its implementation.

This programme is designed to leverage the geographical specialization of horticulture clusters and promote integrated and market-led development of pre-production, production, post-harvest, logistics, branding and marketing activities. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare identified fifty-five (55) horticulture clusters and assumed that after successful implementation of the programme in all the clusters, the overall impact is envisaged to benefit around 1 million farmers leveraging a total estimated investment of INR 10000 Cr and an increase in exports of the targeted crops by 20%.

Based on field visits and extensive feedback received from various stakeholders of the value chain, Operational Guideline for Horticulture Cluster Development Programme has been prepared and finalized. Further, it has been decided to implement the Pilot Phase of programme initially with shortlisted 12 clusters and the programme will be scaled up to cover all the 55 clusters based on the learnings from

the pilot phase.

Hon'ble Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri Narendra Singh Tomar Ji launched the Operational Guideline for Horticulture Cluster Development Programme virtually on 29th October, 2021.

As per the implementation framework stipulated in guideline, Cluster Development Agency (CDA) has been appointed for each identified cluster for undertaking the detailed analysis on gaps and determining the scope for innovative interventions in the clusters. Based on the Cluster Gap Assessment Reports (CGARs) submitted by CDAs, Request for Proposals (RFPs) for the selection of Implementing Agencies for Implementation of Different Verticals under CDP were published in eight (08) clusters as on 31.03.2022. RFPs pertaining to remaining four (04) clusters are in process and shall be published soon.

II. National Nursery Portal

Inadequate availability of quality planting material is one of the primary reason for low productivity of various horticultural crops in India. The common challenges are about sudden drying of grafts even after 2 to 3 years, long gestation period, and non-flowering of the trees even after 6-7 years, poor fruit setting, low productivity and poor quality of fruits.

Concerned with the above issue, the Government of India is providing financial assistance through its various schemes for establishment of nurseries, their accreditation and rating with an aim to establish a network of quality nurseries across the country for the purpose of propagation, multiplication and distribution of quality planting material of horticulture crops in India.

A large number of nurseries for horticultural crops have been established both in public and private sector and several of them have been accredited by various agencies, however, information related to the location of nurseries, their rating and availability of planting material with them during any given period for various crops and their varieties, is scattered and not available at one place. As a result, there is little access of information for farmers/growers and other stake holders in this field.

Proposal to set up National Nursery Portal

In order to overcome the above problem, the Ministry of Agriculture and Farmers

Prosperity through Horticulture

Ensuring Availability of Quality Planting Material

Welfare through National Horticulture Board decided to setup an 'Online Digital Platform' for Nurseries in India, enabling easy access to information on availability of quality planting material in the nearby localities for farmers/growers and other stake holders. Accordingly, NHB awarded the task to a professional agency to designing and managing the National Nursery Web Portal.

Through this portal, the nursery owners showcase their profiles and post sell offers and buyers of planting material can post enquiries and view matching sell offers. The Key features of the National Nursery Portal includes:-

- After registration, the Nurseries will be able to update their profiles online including availability of Planting Material stock.
- The Nurseries will also been linked with rating system and/or with State Governments. This will allow the buyers to make informed decision about the quality of the produce procured by them from the Nursery.
- The Nurseries will be able to post sell offers to Buyers registered in the Portal
- The Buyers will be able to post enquiries in the Portal.
- The virtual aggregation feature at the portal will match the Buyer's enquiries with Nursery's sell offers automatically. Nurseries and Buyers will be able to exchange messages using the portal.
- It will be also a platform of communication contract between Nurseries and Buyers and also for knowledge dissemination

This portal is also available in regional languages, apart from English and Hindi versions for wider coverage of the farming community. Apart from this, Mobile Apps of National Nursery Portal for Registered Buyers and Nurseries both in “Anroid” and “IoS” platforms are also in the process of coding.

The newly developed NHB’s National Nursery Portal platform helps buyers to easily access Nurseries as well as be aware of the availability, price expectation, etc., of the quality planting material. Similarly Nurseries will also getting exposed to the market demands. With the direct connect of buyers to Nurseries, it is expected that the latter shall get better remuneration for their quality planting material as well as get timely advisories for better yield and quality compliance.

Hon’ble Union Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare Shri Narendra Singh Tomar Ji launched the National Nursery Portal on 13th April 2021:

Annexure-I

Objectives of the National Horticulture Board

i) Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture

ii) Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects

iii) Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,

iv) Popularization of identified new technologies / tools / techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment

v) Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.

vi) Promotion and market development of fresh horticulture produce.

vii) Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.

viii) Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.

ix) Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,

x) Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.

xi) Promotion of consumption of horticulture produce and products.

xii) Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,

xiii) Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.

Annexure-II

List of the Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2022)

Sr. No.	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
1	**Shri Narendra Singh Tomar,** Hon'ble Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23383370/23782691/ 23384129 Email: am. krishi@nic.in	President (Ex-officio)
2	**Ms. Shobha Karandlaje,** Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23782343/23782565 E-mail: mos.krishi@nic.in	Vice-President (Ex-officio)
3	**Secretary,** Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382651/ 23388444 Email: secy-agri@nic.in	Member (Ex-officio)
4	**Director General** Indian Council of Agriculture Research, Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23382629-476/ 25841976/23386711/ 25843190 (R) Email: dg.icar@nic.in	Member (Ex-officio)
5	**Addl. Secretary (Horticulture),** Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381503 Enail: ascc-agri@nic.in	Member (Ex-officio)
6	**Addl. Secretary & Financial Advisor,** Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381363/23382532 Email: asfa-agri@gov.in	Member (Ex-officio)

7	**Joint Secretary & Mission Director,** Mission for Intergraded Development of Horticulture (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382444/ 23073779 Email: jsmidh-agri@gov.in	Member (Ex-officio)
8	**Horticulture Commissioner,** Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381012/23383712 Email:hortcommissioner@gmail.com/hort.comm-agri@agri.gov.in	Member (Ex-officio)
9	**Adviser (Agriculture),** Niti Ayog, New Delhi Ph: 011-23096630 2598 Mob-9868060359 Email: adviser.agri-pc@nic.in neelam.patel@gov.in	Member (Ex-officio)
10	**Chairman,** Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area, 3rd Floor , NCUI Building, August Kranti Marg, New Delhi Ph: 011-26513167 Email: chairman@apeda.gov.in	Member (Ex-officio)
11	**Shri Bansi Lal Gurjar** Village Lalghati, P.O. Sabakheda, Tehsil & District Mandsaur (Madhya Pradesh) Mobile : 09425105258, 09425105648 Email : gurjar.banshilal@gmail.com	Non-Official Member
12	**Dr. Sanjay Sharma,** Karun Nursing Home, Mantedi, Ambala – 134003 (Haryana) Mobile : 09416028501, 07988661769, (Ph : 0171-2855001) Email : sanjay65dr@gmail.com	Non-Official Member
13	**Shri Gary T. Haokip** H-56, Republic Mual Veng Aizwal, Mizoram – 796001 Mobile : 09436354457 Email: garyhaokip@yahoo.co	Non-Official Member

14	**Shri Rakesh Kumar Sharma** Village Budhan (Lower), P.O. Pairwin, Tehsil Barsar, District Hamirpur (Himachal Pradesh) Mobile : 09418600199 Email : rakeshsharmaabvp@gmail.com	Non-Official Member
15	**Shri S.N. Rajanna,** Singanayakanahalli Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064 (Karnataka) Mobile : 09845085779 Email: snrajanna1960@gmail.com	Non-Official Member
16	**Dr. Sunil Pareek,** Associate Professor (PHT) Department of Agriculture & Environment Sciences, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) Plot No. 97, Sector 56, HSIIDC Industrial Estate, Kundali, Sonepat – 131028 (Haryana) Mobile : 09414821483, 07056721483 Email : sunil_ciah@yahoo.co.in	Non-Official Member
17	**Shri Hukumchand Patidar,** Village Maanpura, Tehsil Asnawar, District Jhalawad (Rajasthan) Mobile : 09461951154 Email:organicfarmmanpura@gmail.com	Non-Official Member
18	**Shri Bala Shiva Prasath D** 2/224, Gudisettlu Gate Thummanapalli Post, Tehsil- Hosur, Dist- Krishnagiri, Tamil Nadu (Mobile: 09095076347) Email: balashivaprasath@gmail.com	Non-Official Member
19	**Shri Jagdish Baishwar** Vill & Post- Purvi Parasi, Renusagar Thana-Anpara, Sonbhadra (UP) Mobile : 8840088781, 9838187201 Email : jagdishprashadbiashwar@gmail.com	Non-Official Member

20	**Shri Amit Singh Chauhan** Vill-Belag, Post-Jhiknipul, Tehsil- Chaupal Dist-Shimla, Himachal Pradesh Mobile : 09654262690, 7018341590, 0177-2622772 amitchauhan417@gmail.com	Non-Official Member
21	**Shri Manik Gangadhar Patil** At Post Khedgaon, Near Irrigation Colony Gangasagar Bungalow, Tal-Dindori Dist- Nashik (Maharashtra) Mobile : 09225118679 (Email : mgsgrapes@gmail.com)	Non-Official Member
22	**Managing Director,** National Horticulture Board Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, 85, Institutional area, Sector -18 Gurugram 122015(Haryana) Ph: 0124-2342992, 2347441,2342989-90 E mail - md@nhb.gov.in	Member Secretary (Ex-officio)

Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board Sh. Rajbir Singh was the Managing Director of the Board during 01.04.2021 to 31.03.2022. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155.

Details of Sanctioned, Filled and vacant posts as on 31.03.2022

S. No.	Name of the post	Pre-revised pay scale & Grade Pay		As per 7th CPC Pay Level & Pay Matrix		Present Position		
		Scale of Pay	Grade Pay	Pay Level	Pay Matrix	No. of posts sanct-ioned	Filled	Vacant
Group 'A'								
1	Managing Director	37400-67000	10000	14	144200-218200	1	-	1
2	Deputy Managing Director	37400-67000	8900	13-A	131100-216600	1	-	1
3	Director (Personnel)	15600-39100	7600	12	78800-209200	1	-	1
4	Joint Director	15600-39100	6600	11	67700-208700	5	3	2
5	Joint Director (F&A)	15600-39100	6600	11	67700-208700	1	-	1
6	Deputy Director	15600-39100	5400	10	56100-177500	30	20	10
7	Deputy Director (IS)	15600-39100	5400	10	56100-177500	1	1	-
	Total					**40**	**24**	**16**
Group 'B'								
1	Accounts Officer	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
2	O. L. Officer	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
3	Sr. Administrative Officer	9300-34800	4600	7	44900-142400	3	3	-
4	Technical Officer (Computer)	9300-34800	4600	7	44900-142400	2	2	-
5	Jr. Translation Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	1	-
6	Sr. Horticulture Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	18	11	7
7	Administrative Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	-	1
8	Sr. Accountant	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
9	Horticulture Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	17	-	17
10	Jr. Accountant	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
	Total					**48**	**23**	**25**

Group 'C'

1.	Personal Executive	5200-20200	2400	4	25500-81100	5	1	4
2.	Computer Executive	5200-20200	2400	4	25500-81100	7	6	1
3.	Lower Division Clerk	5200-20200	1900	2	19900-63200	5	3	2
4.	Hindi Typist	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
5.	Driver	5200-20200	1900	2	19900-63200	3	-	3
6.	Electrician	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
7.	Messenger/MTS	5200-20200	1800	1	18000-56900	40	33	7
8.	Budder Grafter	5200-20200	1800	1	18000-56900	5	4	1
	Total					**67**	**49**	**18**

Detail

S. No.	Group	Post Sanctioned	Filled	Vacant
1.	Group “A”	40	24	16
2.	Group “B”	48	23	25
3.	Group “C”	67	49	18
	Total	**155**	**96**	**59**

In addition 17 nos. of Temporary Status (Messenger/MTS) in the pay band of Rs. 5200-20200 + grade Pay of Rs. 1800/- are in position.

Annexure-IV

List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address

Sr. No.	State	Name & Address of the Centers
1	Andhra Pradesh	National Horticulture Board Indira Gandhi Municipal Stadium Complex, 1st Floor, Gate No 03, Labbipet Baudar Road , Vijayawada-520010 (AP) Tele/fax: 0866-2473351 Email: ap.nhb@gov.in
2	Assam	National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax :0361-2343719, 2340695 E-mail : assam.nhb@gov.in / nhbghy@gmail.com
3	Bihar	National Horticulture Board Verma Centre,Room No 501, 502, 5th Floor, Boring Canal Road, Patna-800 001, Tele/Fax :0612-2541218,2541128 E-mail : bihar.nhb@gov.in
4	Chandigarh	National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C Chandigarh-160 047 Tele/Fax :0172-2625249, 2625269 E-mail : chd.nhb@gov.in
5	Chattisgarh	National Horticulture Board H. No. 42, First Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha Raipur-492001 Tele/Fax : 0771-2423992 E-mail : cg.nhb@gov.in
6	Delhi	National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan New Delhi-11001 Tele/Fax: 011-23097015,23073019 E-mail : delhi.nhb@gov.in
7	Gujarat	National Horticulture Board 416 Devnandan, Opp. Sanyas Ashram, Ellis Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380006 (Gujarat) Tele/Fax :079-29705413, 26585413 E-mail : gj.nhb@gov.in

8	Himachal Pradesh	National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171 002, Tele/Fax: 0177-2622908/2623801 E-mail : hp.nhb@gov.in
9	Jammu & Kashmir (Srinagar)	National Horticulture Board Horticulture Complex Rajabagh Srinagar-190008 Tele Fax: 0194-2474349 (PP), E-mail : jk.nhb@gov.in
10	Jammu & Kashmir (Jammu)	National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor South Block, Bahu Plaza Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax :0191-2474349, 2474112 E-mail: jk.nhb@gov.in
11	Jharkhand	National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax :0651-2230132,2233832 E-mail : jh.nhb@gov.in
12	Karnataka	National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bangalore-560 022 Tele/Fax: 080-23371935, 23374149 E-mail : ktk.nhb@gov.in
13	Kerala	National Horticulture Board No. UR-10, Uppalam Road, Statue, Thiruvananthapuram-695001 Tele/Fax : 0471-2470505, 2470506 E-mail : kerala.nhb@gov.in
14	Madhya Pradesh (Bhopal)	National Horticulture Board R-24, 2nd Floor, Near Hindustan Times MP Nagar, Zone-1, Bhopal – 462011 Tele/Fax :0755 –2761741 Email: mp.nhb@gov.in / mpnhbbpl@gmail.com
15	Madhya Pradesh (Gwalior)	National Horticulture Board Agriculture Campus, Opposite Mela Ground, Race Course Road, Gwalior 4740029M) Ph.: 0751-2930606 Email gwlr.nhb@gmail.com

16	Maharashtra (Mumbai)	National Horticulture Board Room No. 317, 4th Floor Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi, Navi Mumbai- 400703 Tele/Fax: 022-27830107 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in
17	Maharashtra (Nagpur)	National Horticulture Board 401, 4th Floor, Lotus Plaza, Near Lakshmi Bhavan, Old Post Office Road. Gokulpeth, Nagpur-440 010 Tele/Fax :0712-2525030,2523110 E-mail : mh.ngp.nhb@gov.in
18	Maharashtra (Nashik)	National Horticulture Board S. C. Panwar Market Yard, Commercial Complex No. 1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax: 0253-2974558, 2533715 E-mail : mh.nsk.nhb@gov.in
19	Maharashtra (Pune)	National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhambhurda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax : 020-25528582/83 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in
20	Odisha	National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneshwar- 751015 Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email : odisha.nhb@gov.in
21	Rajasthan	National Horticulture Board Second Floor, Modak Priyay, Plot No. 16 & 17, Near New, Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur 302 020 Tele/Fax :0141-2399405, 2390818 E-mail : rj.nhb@gov.in
22	Sikkim	National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax: 03592-208453,220975 E-mail : sikkim.nhb@gov.in

23	Tamilnadu	National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032 Tele/Fax :044-22501151/22500965 E-mail : tn.nhb@gov.in
24	Telengana	National Horticulture Board No.2, 5-9-195, William Niwas, Chirag Ali Lane, ABIDS, Hyderabad-500 001 Tele/Fax :040-23200806, 23201140 E-mail : ts.nhb@gov.in
25	Uttar Pradesh (Lucknow)	National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyan Bhawan Lucknow-226001 Tele/Fax: 0522-4317527 E-mail: up.lko.nhb@gov.in
26	Uttar Pradesh (Varanasi)	National Horticulture Board 2nd floor, C.T.O Building Taar Ghar (BSNL) Cantt, Nadesar, Varanasi UP- 221002. Phone: 0542-2508756 E-mail : up.var.nhb@gov.in
27	Uttar Pradesh (Baraut)	National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road,Baraut- 250611 Phone: 01234-251157 E-mail : up.var.nhb@gov.in
28 `	Uttrakhand	National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjanpur, Dehradun- 248171 Tele/Fax: 0135-2621922, 2522767 E-mail : uk.nhb@gov.in
29	West Bengal	National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2nd Floor, Salt Lake, Sector-II Kolkata -700091 Tele/Fax: 033-29861049, 40034815 E-mail : wb.nhb@gov.in

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

ANNUAL ACCOUNTS OF THE NATIONAL HORITICULTURE BOARD FOR THE YEAR 2021-22

Speed Post

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central), Chandigarh

सत्यमेव जयते

सं०/No: डी.जी.ए.(सी)/के व्यय/SAR NHB/2021-22/22-23/ 1852 दि०/Dated: 28.10.2022

सेवा मे,

सचिव,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(Ministry of Agriculture and Farmers Welfare),
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2021-22 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृप्या National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2021-22 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलंग्न पायें | संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए|

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ|

कृप्या इस पत्र की पावती भेजें|

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

-हस्ता/-
महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2021-22 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध निदेशक, National Horticulture Board, 85, Institutional Area, Sector 18, Gurugram 122015 को प्रेषित की जाती है|

भवदीया,

निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

प्लाट न. 20-21, सेक्टर - 17ई, चण्डीगढ़ – 160017 Plot No. 20-21, Sector-17E, Chandigarh - 160017
दूरभाष/ Tel.No. 0172 - 2782020 & 2706117 फैक्स/ FAX No:0172 - 2782021 / 2783974 ई-मेल/ Email: pdacchandigarh@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the National Horticulture Board, Gurugram for the year ended 31 March 2022

We have audited the Balance Sheet of the National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2022, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted from 2017-18 to 2021-22. National Horticulture Board has 25 operational accounting branch units, out of which seven units (Bhopal, Patna, Jammu, Ahmedabad, Nagpur, Nashik and Pune) were audited during the year 2021-22. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Horticulture Board, Gurugram in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A. General

Reference is invited to Significant accounting policy (Schedule 24) at Sl. no. 1 which states that provision for pay for the month of March 2022 has not been made in the accounts because the same is payable in the next year.

The policy of the Board is in contravention to the instructions for compilation of Financial Statements, contained in Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies which states that the financial statements shall be prepared on accrual basis. Due to non-following the prescribed format, provision for the Salary for March 2022 paid in April 2022 amounting to ₹ 93.55 lakh has not been made in the accounts.

B. Grant-in-Aid

Out of total Grant of ₹ 131.49 crore (including unspent balance of ₹ 19.93 crore of the previous year, Grants received during the year 2021-22 of ₹ 108.52 crore and Board's Misc receipts of ₹ 3.04 crore), the Board utilised a sum of ₹ 79.17 crore and refunded ₹ 1.90 crore to the Government leaving a balance of ₹ 50.42 crore as unutilised, as on 31.03.2022.

C. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit report have been brought to the notice of the Board's management through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2022; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India

Director General of Audit
(Central), Chandigarh

Place: Chandigarh
Date: 28.10.2022

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit of NHB Head Office and Jammu, Bhopal, Patna, Ahmedabad, Nagpur and Pune Branch offices for the year 2021-22 was conducted by a firm of Chartered Accountants. Intenal audit of NHB Nashik Branch Office had not been conducted for the year 2021-22.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control is considered inadequate in view of the following:

(i) The Board has not prepared its accounting manual.

(ii) As per clause 10 (i) of the Rules and Regulations of the Board, the Managing Committee shall meet at least once in every three months and otherwise at such times and such places as may be determined by the Chairman or the Managing Committee. During the year 2021-22, it was noticed that only one meeting of the Managing Committee was held on 25.03.2022.

(iii) Medical claim, expenditure register, expenditure control register, stationery register and register of contracts had not been maintained by the NHB Bhopal Branch office.

(iv) The NHB Jammu Branch office was having thirteen unserviceable items having gross value of ₹ 1.78 lakh which had not been disposed off.

(v) As per GFR 211 (ii)(a), Fixed Asset Register is required to be maintained in form GFR-22. Though the NHB Jammu and Ahmedabad Branch Office had maintained the Fixed Asset Registers, the same had not been maintained in the proper format. No entries had been made in the year 2021-22 in the Fixed Assets Register by NHB Ahmedabad Branch Office.

(vi) Following deficiencies were noticed in Cash Book maintained by the NHB Nashik Branch office:

- Monthly closing had not been carried out and total of the month in respect of Receipt and Payment had not been exhibited. Also, no certification of the amount had been done by the competent authority.
- Surprise check had not been carried out by Head of Office and certificate to that effect had not been given.
- Voucher Numbers for the period April 2019 to March 2020 and December 2020 to March 2021 had not been mentioned.

- Overwriting had been carried out, which was not attested by the dealing staff.

3. **Physical verification of Fixed Assets**

Physical verification of Fixed Assets for the year 2021-22 had been conducted in respect of the NHB Head Office, NHB Patna, Jammu, Bhopal, Ahmedabad, Nagpur, Nashik and Pune Branch offices.

4. **Physical verification of Inventory**

The Board has prepared an online stock balance report as on 31 March 2022. However, physical verification of inventories has not been carried out. Physical verification of Inventory had been conducted by the NHB Patna, Bhopal, Ahmedabad, Nagpur. Pune Branch offices during the year 2021-22.

5. **Statutory dues**

The Board was regular in depositing the undisputed statutory dues.

Director

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2022

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	2,206,894,088	1,829,995,533
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	11,589,439	11,379,578
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	384,062,916	379,175,143
TOTAL		**2,602,546,443**	**2,220,550,254**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	32,810,810	19,730,135
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	2,569,735,633	2,200,820,119
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)			-
TOTAL		**2,602,546,443**	**2,220,550,254**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM **Sd/-** **Sd/-** **Sd/-**
Date : 20.06.2022 20.06.2022 Managing Director **Deputy Managing Director** **Accounts Officer**

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2022

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
Income from Sale & Services	12	18,995,637	13,766,684
Grants/ Subsidies	13	1,068,200,000	1,017,460,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	930
Interest Earned	17	103,605,636	114,188,052
Other Income	18	1,198,373	1,853,388
Increase/ (Decrease) in stock of finished goods and WIP	19	-	-
TOTAL (A)		**1,191,999,646**	**1,147,269,054**
EXPENDITURE			
Establishment expenses	20	93,906,694	87,167,291
Other Administrative Expenses etc.	21	18,659,650	22,358,293
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	664,064,534	943,219,979
Interest	23	-	-
Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	12A	30,256,205	28,121,777
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8)	8	4,872,381	2,538,114
TOTAL (B)		**811,759,464**	**1,083,405,454**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)			
- For the Funds other than Cost of application & Processing Fee		391,500,751	78,218,693
- Cost of application & processing Fee		(11,260,568)	(14,355,093)
Transfer to Provision for Doubtful Debts (Reverse)			-
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT		391,500,751	78,218,693
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR APPLICATION & PROCESSING FEE		(11,260,568)	(14,355,093)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2022

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year	PAYMENTS			2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year
I. Opening Balances			I. Expenses (from the Budget of Mission Management & Administrative Expenses)				
a) Cash in hand	68,876	90,295	a) Establishment Expenses - HO			93,681,389	107,389,500
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses - HO			18,510,936	20,524,229
i) in current accounts	-	-					
ii) in deposit accounts	1,174,100,000	1,065,298,777	II. Payments made against funds for Various Schemes	NHB Schemes			
iii) in saving accounts	360,553,825	718,184,349		Other than NE States	North East States		
iv) in deposit accounts (processing fee /Cost of Application form & scheme broucher A/c)	417,900,000	358,200,000					
II. Grants Received			i) Development of Commercial Horticulture through Production and Post - Harvest Management				
a) From Government of India			-Subsidy	269,999,500	-	269,999,500	521,997,550
i) For NHB schemes			- Legal & Professional Charges	57,000		57,000	471,000
- From NHB Budget	968,200,000	1,017,460,000	ii) Capital Investment Subsidy for Constrn/ Modernization/Expansion of Cold Storage and Storages for Hort. Produce	265,311,300	-	265,311,300	321,653,800
ii) For NHM schemes :			iii) Technology Development and Trfr for Promotion of Horticulture	4,776,292	200,000	4,976,292	5,434,043
- For TSG component	17,000,000	20,000,000	iv) Market Information Services for Horticulture Crops	702,100		702,100	190,744
			v) Horticulture Promotion Services/Expert Services	26,048,212		26,048,212	13,441,430
iii) For NBM schemes	-	2,000,000	vi) Mission Management & Administrative Expenses				
			a) Establishment Expenses - Centres	54,236,661		54,236,661	54,518,925
iv) For National Mission On Saffron schemes	-	-	b) Administrative Expenses - Centres	22,841,037		22,841,037	21,143,969
			Total	**643,972,102**	**200,000**		
b) From State Government	-	-	vii) Expenses For China Garden at China			-	3,426,391

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2022

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year	PAYMENTS	2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year
III. Income on Investments from			viii) National Bamboo Mission (Support Services)	543,089	681,733
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	ix) National Horticulture Mission (TSG)	16,083,569	19,370,726
b) Own Funds (other Investment)	-	-	x) National Mission on Saffron	-	1,440,462
IV. Interest Received					
a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for			xi) MoFPI	-	(42)
-NHB Funds	77,021,375	88,717,264			
-Appliciation Funds	22,638,183	26,320,415	xii) Expenses For International Hort. Expo Floriade 2022	16,577,154	-
-NHM Funds	86,298	351,023	III. Investments & Deposits made		
-NBM Funds	50,113	47,020	a) Out of Earmarked/Endowment funds	-	-
-MoFPI Funds	-	29	b) Out of Own funds (Investments-Others)	-	-
-National Mission on Safforn Funds	133,561	177,292			
			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Prograss		
b) Loans, Advances etc.	-	-	a) Purchase/Additions to Fixed Assets		
			i) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - HO	1,876,000	438,983
V. Other Income (Specify)			ii) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - Centre	219,330	825,072
Rent from IOB	1,088,823	1,755,144			
Income Tax Refund	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-Progress	-	-
Cost of Application form & scheme brochure	18,995,637	13,766,684			
Misc. Receipts	993,214	3,356,166	V. Refund of Surplus money/Loan		
Earnest Money Deposit - NHB	700,000	1,225,000	a) To the Government of India	-	-
Earnest Money Deposit - Saffron Park	-	400,000	- Department of Agricultural & Coop		

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2022

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year	PAYMENTS			2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year
Security Deposit	50,054	-	- from Internal Accruals			18,591,504	276,971,030
Bank Charges - Saffron Park	118	-	- from Grant in Aid			436,028	330,312
			- to MoFPI			-	1,456
VI. Amount Borrowed	-	-	b) To the State Government			-	-
			c) To the other providers of funds			-	-
VII. Any other receipts (give details)							
			VI. TDS DEDUCTED AT SOURCE BY BANK			6,621,474	5,441,384
a) Recovery of advances (Incl. Intt.)	41,197	1,708,029					
b) Recovery of Loan under NHB Scheme	-	-	VII. Other Payments (Specify)				
c) Unspent funds received back from beneficiaries under various schemes to whom funds were released in previous years under NHB Schemes			Advance to Staff			-	-
			Earnest money refunded - NHB			177,000	415,000
			Earnest money refunded - Saffron Park			-	400,000
			Prepaid Expenses			-	441,281
- For NE States	-	43,955	Expenditure on behalf of NCCD, DWD & NOVOD Board			2,066,746	4,361,946
- For Other than NE States	14,570,676	2,263,231	Security Deposit			-	282,610
d) Recovery from Others	78,876	773,035	Amount Receivable			-	64,190
			Payment to others			1,089,745	-
VIII. REFUND OF TDS DEDUCTED	13,964,241	27,972,764					
BY BANK - NHB			VIII. Payments from Cost of Application Form & Scheme broucher				
			- Payment to Contractual Data Entry Operators			13,396,230	13,432,819
IX REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK	2,661,652	9,301,295	- Scrutiny fees cold storage			2,525,200	1,103,300
(Application Fee)			- Travelling Expenses & consultancy fees of Experts			73,091	17,592
			- Payment for Office & Advertisement Expenses			3,938,835	-
X NOVOD Board	2,458,718	1,133,036	- AMC Website & software			4,814,400	3,881,897
			- Bank Charges			393,023	235,720

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2022

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year	PAYMENTS			2021-22 Current Year	2020-21 Previous Year
XI DWD	284,911	-	- Pay and Allowances (30%)			6,238,698	6,978,561
			- Payment for Leasehold shops			484,038	614,491
			- Fixed Assets			11,386,814	-
			IX. Closing Balances				
			a) Cash in Hand				
			At Head Office		12,653		
			At NHB Centres		63,176	75,829	68,876
			b) Bank Balances				
			i) In current accounts				
			ii) In deposit accounts (NHB's internal accrual amount)			1,233,800,000	1,174,100,000
			iii) in deposit accounts (pocessing fee Amount)/ Cost of Application form & Scheme broucher			427,900,000	417,900,000
			iv) in Saving accounts				
			-At NHB Centres - Imprest amount		7,901,095		
			- At Head Office				
			- For NHB Schemes & internal accruals		530,337,766		
			- For Cost of Application form & Scheme brochure		18,199,511		
			- For NHM Schemes		5,412,601		
			- For NBM Schemes		1,199,044		
			- MoFPI Funds		-		
			- For National Mission on Saffron		4,471,721		
			- For NHM Delhi centre		364,626		
			- For NBM Delhi centre		81,760	567,968,125	360,553,825
Total	**3,093,640,349**	**3,360,544,804**	**Total**			**3,093,640,349**	**3,360,544,804**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

Receipt & Payment Account
Establishment Expenses for the year 2021-22

SCHEDULE -1

(Amount in ₹.)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
1	EPF Board' contribution	11,570,201	11,748,028
2	Leave Encashment	8,959,530	13,581,072
3	LTC Claim	272,842	222,484
4	Medical Reimbursement	4,198,783	6,166,487
5	Pay & Allowance	53,412,793	55,297,701
6	Staff Welfare	284,661	414,894
7	Bonus & other allowance	2,000	30,000
8	Children Education Allowance	729,000	783,000
9	Payment to consultant	469,247	-
10	Gratuity Paid During The Year	13,782,332	19,145,834
	TOTAL	**93,681,389**	**107,389,500**

Administrative Expenses for the year 2021-22

SCHEDULE -2

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
1	Electricity & Water Charges	1,481,132	1,573,987
2	Short & Excess	-	0
3	Generator Running & Maintenence	646,189	623,227
4	Insurance	27,800	21,864
5	Repair & Maintenance	653,451	942,938
6	Security Charges & House Keeping Exp.	6,496,702	6,753,723
7	Vehicle Running & Maintenence	18,462	29,713
8	Postage, Telephone & Communication Charges	636,997	585,772
9	Printing & Stationary	1,525,332	1,337,108
10	Conveyance & Travelling	1,549,527	2,234,169
11	Newspaper & Periodicals	18,414	16,133
12	Office Expenses	268,849	502,326
13	Expenses on Meeting & Entertainment	74,267	405,437
14	Auditor Remuneration & Fees	1,133,929	701,055
15	Legal & Professional Charges	2,436,672	1,966,770
16	Advertisement & Publicity	612,728	451,572
17	Photocopy Charges	602,148	1,502,738
18	Property Tax	176,418	196,020
19	Covid 19 Expenses	68,918	307,899
20	Bank Charges	4,193	-
21	Rajbhasha Promotion Expense	78,809	371,778
	TOTAL	**18,510,936**	**20,524,229**

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2022

SCHEDULE -1

(Amount in ₹.)

CORPUS/ CAPITAL FUND :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year				
a. For the Funds other than Processing Fee and Application form account	**1,380,727,446**		**1,563,391,005**	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	391,500,751		78,218,693	
Add: Reversal/(cancel) of Stale Cheques			116,234	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at centre)			-	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at Head Office)	14,570,676		2,307,186	
Less: Funds Remitted to Government of India	2,307,186		221,131,136	
Less: Income tax refund /TDS	-		-	
Less: Other Recoverable	-		-	
Less: Interest Payable to DAC & FW	15,605,117		16,284,318	
Less: Interest earned on Processing & Application fee	22,867,029	1,746,019,540	25,890,218	1,380,727,446
b. For Processing & Application Fee Account	**449,268,087**		**437,732,962**	
Add : Income tax refund/TDS	-		-	
Add : Other Recoverable	-		-	
Add : Interest earned on Processing & Application fee	22,867,029		25,890,218	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure)transferred from the Income and Expenditure Account	(11,260,568)	460,874,548	(14,355,093)	449,268,087
BALANCE AT THE YEAR END		**2,206,894,088**		**1,829,995,533**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -2

(Amount in ₹.)

RESERVES AND SURPLUS :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
2. Revaluation Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				-
3. Special Reserves :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
4. General Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
TOTAL		**-**		**-**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2022

SCHEDULE -3

(Amount in ₹.)

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK-UP				TOTAL	
	NHM Scheme	NBM Scheme	National Mission on Saffron	MoFPI Scheme	Current Year	Previous Year
a. Opening balance of the funds	5185830	1836462	4357286	0	11379578	10,644,752
Opening balance of the funds-EMD						-
b. Additions to the Funds						-
i. Grants/ Donations	17,000,000		-	-	17,000,000	22,000,000
ii. Income from funds (Interest on Saving a/c)	89,455	48,100	134,874	-	272,429	559,473
TOTAL (a + b)	**22,275,285**	**1,884,562**	**4,492,160**	**-**	**28,652,007**	**33,204,225**
c. Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure :						
- Fixed Assets	245,110	-	-	-	245,110	492,572
- Grants released for projects	-	-		-		
	245,110	-	-	-	245,110	492,572
ii. Revenue Expenditure :						
- Salaries, Wages and allowances etc.	9,676,219	496,985	-	-	10,173,204	
- Bank Charges	(317)	5	(118)		(431)	76
- Other Administrative expenses-TSG	6,162,558	46,099		-	6,208,657	21,000,231
- Refund to MFPI/HMNEH/DAC	381,177	54,851			436,028	331,768
Total	**16,219,636**	**597,940**	**(118)**	**-**	**16,817,458**	**21,332,075**
Grant Total	**16,464,746**	**597,940**	**(118)**	**-**	**17,062,568**	**21,824,647**
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)	**5,810,539**	**1,286,622**	**4,492,278**	**-**	**11,589,439**	**11,379,578**

Note : Above net balances includes accrued interest.

Place : GURUGRAM	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
Date : 20.06.2022	**Managing Director**	**Deputy Managing Director**	**Accounts Officer**

SCHEDULE -4

(Amount in ₹.)

SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		**-**		**-**

SCHEDULE -5

(Amount in ₹.)

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Insitutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		**-**		**-**

Note: Amounts due within one year

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -6

(Amount in ₹.)

DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-		-
b. Others		-		-
TOTAL		**-**		**-**

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE -7

(Amount in ₹.)

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances		-		-
2. Sundry Creditors:				
a. For Goods	-		-	
b. Others	-	-	-	-
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on:				
a. Secured loans/ borrowings	-		-	
b. Unsecured loans/ borrowings	-	-	-	
			-	
5. Statutory Liabilities:				
a. Overdue	-		-	
b. Others	-	-	-	
			-	
6. Other current liabilities		30,962,161		25,170,669
TOTAL	**(A)**	**30,962,161**		**25,170,669**
B. PROVISIONS				
1. For Taxation				
2. Gratuity	94,562,553		96,053,863	
3. Superannuation/ Pension				
4. Accumulated leave Encashment	64,088,620		63,501,029	
5. Trade Warranties/ Claims				
6. Others - Doubtful Debts	194,449,582	353,100,755	194,449,582	354,004,474
TOTAL (B)		**353,100,755**		**354,004,474**
TOTAL (A+B)		**384,062,916**		**379,175,143**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2022

SCHEDULE -8

(Amount in ₹.)

DESCRIPTION	Rates of Depriciation	Cost As at beginning of the Year	GROSS BLOCK					DEPRECIATION			NET BLOCK	
			Additions during the year		Deductions/ Adjustment	Cost As at the end of the Year	Cost As at beginning of the Year	During the year	Deductions/ Adjustment	Total up to the Year End	Current year end	Previous year end
			Before 30th sep.	After 30th sep.								
A. FIXED ASSETS												
(I) FROM GRANT-IN-AID												
LAND:												
a. Freehold		3,139,088	-	-	-	3,139,088	-	-	-	-	3,139,088	3,139,088
b. Leasehold		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDINGS:		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
a. On freehold land	10%	22,871,006	-	-	-	22,871,006	19,719,697	315,131	-	20,034,828	2,836,178	3,151,309
b. On leasehold land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Ownership Flats/ premises		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Superstructures on land	10%	162,742	-	-	-	162,742	139,537	2,320	-	141,857	20,885	23,205
PLANT MACHINERY & EQUIPMENTS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLES	15%	822,181	-	-	-	822,181	682,056	21,019	-	703,075	119,106	140,125
FURNITURE & FIXTURES	10%	18,699,138	263,525	548,138	954,308	18,556,493	13,471,858	549,207	681,498	13,339,567	5,216,926	5,227,280
OFFICE EQUIPMENT	15%	22,664,347	657,786	631,968	2,167,071	21,787,030	18,321,815	774,088	2,011,362	17,084,541	4,702,489	4,342,532
COMPUTER PERIPHERALS	40%	19,770,019	-	318,831	1,967,338	18,121,512	18,205,633	685,916	1,958,326	16,933,223	1,188,289	1,564,386
LIBRARY BOOKS	40%	2,357,073	50,398	62,215	-	2,469,686	2,222,850	86,291	-	2,309,141	160,545	134,223
TUBEWELLS & WATER SUPPLY	15%	85,040	-	-	-	85,040	84,880	24	-	84,904	136	160
TOTAL		**90,570,634**	**971,709**	**1,561,152**	**5,088,717**	**88,014,778**	**72,848,326**	**2,433,996**	**4,651,186**	**70,631,136**	**17,383,642**	**17,722,308**
(II) FROM PROCESSING FEE AND APPLICATION FORM & SCHEME BROCHURE FEE AMOUNT												
BUILDINGS:												
a. On freehold land	10%	2,296,404	-	-	-	2,296,404	1,729,080	56,732	-	1,785,812	510,592	567,324

SCHEDULE -8

(Amount in ₹.)

DESCRIPTION	Rates of Depriciation	Cost As at beginning of the Year	GROSS BLOCK					DEPRECIATION			NET BLOCK	
			Additions during the year		Deductions/ Adjustment	Cost As at the end of the Year	Cost As at beginning of the Year	During the year	Deductions/ Adjustment	Total up to the Year End	Current year end	Previous year end
			Before 30th sep.	After 30th sep.								
b. On Leasehold Shops		2,430,404	-	-	-	2,430,404	1,130,420	226,084	-	1,356,504	1,073,900	1,299,984
FURNITURE & FIXTURES	10%		2,765,878	5,120,224		7,886,102		532,599		532,599	7,353,503	-
ELECTRICAL FITTINGS	10%		1,090,521	2,857,481		3,948,002		251,926		251,926	3,696,076	-
SOFTWARE NURSERY PORTAL	40%		2,950,000	-		2,950,000		1,180,000		1,180,000	1,770,000	-
NETWORKING EQUIPMENT	40%		43,424	-		43,424		17,370		17,370	26,054	-
OFFICE EQUIPMENT	15%		498,075	509,349		1,007,424		112,912		112,912	894,512	-
SOLAR PANNEL	40%	2,602,548	-	22,774	-	2,625,322	2,462,029	60,762	-	2,522,791	102,531	140,519
TOTAL		**7,329,356**	**7,347,898**	**8,509,828**	**-**	**23,187,082**	**5,321,529**	**2,438,385**	**-**	**7,759,914**	**15,427,168**	**2,007,827**
TOTAL OF CURRENT YEAR		**97,899,990**	**8,319,607**	**10,070,980**	**5,088,717**	**111,201,860**	**78,169,855**	**4,872,381**	**4,651,186**	**78,391,050**	**32,810,810**	**19,730,135**
TOTAL OF PREVIOUS YEAR		96,772,674	352,427	914,128	139,239	97,899,990	75,664,154	2,538,114	32,413	78,169,855	19,730,135	21,108,520
B. CAPITAL WORK IN PROGRESS		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL		**97,899,990**	**8,319,607**	**10,070,980**	**5,088,717**	**111,201,860**	**78,169,855**	**4,872,381**	**4,651,186**	**78,391,050**	**32,810,810**	**19,730,135**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -9

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		-
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		**-**		**-**

SCHEDULE -10

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		--
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		**-**		**-**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT ASSETS				
1. Inventories:				
a. Stores and Spares	301,933		406,878	
b. Stamps in hand	-		-	
c. Stock in trade			-	
- Finished goods	-		-	
- Work in progress	-		-	
- Raw Materials	-	301,933	-	406,878
2. Sundry Debtors:				
a. Outstanding for a period exceeding six months	-		-	
b. Others		-		-
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc)		75,829		68,876
4. Bank balances				
a. With Scheduled banks:				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	427,900,000		417,900,000	
NHB's internal accrual	1,233,800,000		1,174,100,000	
- In Saving accounts (Head Office)	560,067,030		351,508,931	
- In Saving accounts -Imprest A/c(Centres)	7,901,095		9,032,010	
- In Saving accounts-Subsidy A/c (Centres)	-		12,218	
- In Saving accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres)	-	2,229,668,125	665	1,952,553,825
b. With non-Scheduled banks:				
- On current accounts	-		-	
- On Deposit Accounts	-		-	
- On Saving accounts	-		-	
5. Post Office Savings Accounts		-		-
6. Grants in Transit		100,000,000		-
TOTAL (A)		**2,330,045,887**		**1,953,029,579**

SCHEDULE -11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans and Advances				
a. Staff	1,103,132		1,139,977	
b. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity	-		4,970	
c. Others : Soft Loan under schemes of the Board				
- Considered good and recoverable				
- Doubtful	171,879,681		171,879,681	
		172,982,813		173,024,628
2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received:				
a. On capital account			-	
b. Prepayment	21,738		456,776	
c. Deposits & Recoverable's	5,862,034		6,544,258	
		5,883,772		7,001,034
3. Income Accrued:				
a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund	-		-	
b. On investments - FDR's				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	1,151,854		986,460	
NHB's internal accrual	16,582,231		16,261,754	
c. On Saving accounts				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	27,348		91,880	
NHB's internal accrual	2,095,131		1,426,678	
NHM's	33,310		30,154	
NBM's	5,818		7,831	
National Saffron Mission	20,558		19,245	
d. On Soft loans				
- Considered good and recoverable	-		-	
- Doubtful	22,569,901		22,569,901	
(includes income due unrealised)				
		42,486,151		41,393,902
4. Claim Receivable (Tax Deducted at Source By Bank on Interest & Rent)		18,337,010		26,370,975
TOTAL (B)		**239,689,746**		**247,790,540**
TOTAL (A+B)		**2,569,735,633**		**2,200,820,119**

Place : GURUGRAM **Sd/-** **Sd/-** **Sd/-**
Date : 20.06.2022 **Managing Director** **Deputy Managing Director** **Accounts Officer**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2022

SCHEDULE -12

(Amount in ₹.)

INCOME FROM SALES/ SERVICES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from sales:				
a. Sale of Finished Goods	-		-	
b. Sale of Raw Materials	-		-	
c. Sale of Scrap	-	-	-	
			-	
2. Income from Services:				
a. Processing charges	-		-	
b. Cost of Application Form & Scheme Broucher	18,995,637	18,995,637	13,766,684	13,766,684
TOTAL		**18,995,637**		**13,766,684**

SCHEDULE -12A

(Amount in ₹.)

Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Expenses for Application Form & Scheme Brochure		30,256,205		28,121,777
TOTAL		**30,256,205**		**28,121,777**

SCHEDULE -13

(Amount in ₹.)

GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and subsidies received)	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government				
Planned expenditure				
From NHB Budget	1,068,200,000		1,017,460,000	
Non planned expenditure	-		-	
		1,068,200,000		1,017,460,000
2. State Government (s)		-		-
3. Government Agencies		-		-
4. Insitutions/ Welfare Bodies		-		-
5. International Organisations		-		-
6. Others (Specify)		-		-
TOTAL		**1,068,200,000**		**1,017,460,000**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -14

(Amount in ₹.)

FEES/ SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Entrance Fees		-		-
2. Annual Fees/ Subscriptions		-		-
3. Seminar/ Program Fees		-		-
4. Consultancy Fees		-		-
5. Others		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -15

(Amount in ₹.)

INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds)	Invest from Earmarked fund		Invest from Earmarked fund	
	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
1. Interest				
a. On Govt Securities	-		-	
b. Other Bonds/ Debentures	-		-	
c. Others (FDs with banks)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. Dividends				
a. On Shares	-	-	-	-
b. On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	-	-	-	-

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -16

(Amount in ₹.)

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from publications		-		930
2. Income from Royalty		-		-
3. Others (Specify)		-		-
TOTAL		**-**		**930**

SCHEDULE -17

(Amount in ₹.)

INTEREST EARNED	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. On Term Deposits:				
a. With Scheduled Banks (including TDS deducted by Bank Rs 84,83,723/-)	84,837,231		89,390,565	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. With institutions	-		-	
d. Others	-	84,837,231	-	89,390,565
2. On Savings Accounts:				
a. With Scheduled Banks	16,041,469		18,262,662	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. Post Office Savings Accounts	-		-	
d. Others - at Centres	-	16,041,469	-	18,262,662
3. On Loans:				
a. Employees/ Staff	2,168		4,181	
b. Service charges recoverable from Beneficiaries				
under Soft Loan Scheme	-		-	
c. Service Charges Received from Beneficiaries				
under Soft Loan Scheme	-		-	
		2,168		4,181
4. Interest on Debtors and Other Receivables		2,724,768		6,530,644
TOTAL		**103,605,636**		**114,188,052**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -18

(Amount in ₹.)

OTHER INCOME	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Profit on sale/ disposal of assets:				
a. Owned assets	-		-	
b. Assets acquired out of grants, or received free of cost	-		-	
		-		-
2. Rent received		1,088,823		1,755,144
3. Fees for Miscellaneous Services		-		-
4. Miscellaneous Income		109,550		98,244
5. Service charges/Penal Interest received				
6. Other Receipt		-		-
TOTAL		**1,198,373**		**1,853,388**

SCHEDULE -19

(Amount in ₹.)

INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Closing stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
		-		-
2. Less: Opening Stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
		-		-
NET INCREASE/ (DECREASE) [1-2]		**-**		**-**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -20

(Amount in ₹.)

ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Pay and Allowances		53,412,793		54,060,783
b. Other Allowances and Bonus		6,651,128		7,762,027
c. Contribution to Provident Fund		11,570,201		11,748,028
d. Staff Welfare Expenses		298,081		417,378
e. Expenses on employees retirement & terminal benefits		21,383,370		13,179,075
f. Payment To Consultant		591,121		-
TOTAL		**93,906,694**		**87,167,291**

SCHEDULE -21

(Amount in ₹.)

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Electricity and water charges		1,446,720		1,622,747
b. Generator running & maintenance		685,722		657,117
c. Insurance		21,557		21,910
d. Repair and maintenance		754,648		1,033,382
e. Security charges and house keeping expenses		6,481,971		7,308,399
f. Vehicles Running and Maintenance		18,692		29,226
g. Postage, Telephone and communication charges		608,015		602,362
h. Printing and stationery		1,632,087		1,656,657
I. Travelling and Conveyance expenses		1,545,490		2,237,463
j. Newspaper & periodicals		19,036		16,285
k. Office expenses		244,517		497,876
l. Expenses on meeting\entertainment		74,199		404,321
m. Auditors remunerations/ fees		1,133,929		701,055
n. Legal & Professional Charges		2,371,560		2,633,830
o. Advertisement and publicity		612,728		451,572
p. Photocopy exp.		654,558		1,608,394
q. Property Tax		176,418		196,020
r. Interest On TDS		52		-
s. Books & Periodicals		1,500		-
t. Rajbhasha Promotion Expense		78,809		371,778
u. Covid 19 Expenses		68,918		307,899
v. Commission on Auction		24,332		-
w. Bank Charges		4,193		-
TOTAL		**18,659,650**		**22,358,293**

Place : GURUGRAM
Date : 20.06.2022

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -22

(Amount in ₹.)

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Grants given to Institutions/ Organisations				
b. Subsidies given to Institutions/ Organisations (For Other than NE states)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	269,999,500		513,978,050	
- Legal charges for court cases under soft loan scheme	67,500		471,000	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	265,311,300		292,573,800	
iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture	4,777,496		5,284,043	
iv) Market Information Service for Horticulture Crops	-		190,744	
v) Horticulture Promotion Services	28,397,661		13,984,030	
vi) Mission Management & Administrative Expenses				
a Establishment Expenses - Centre	54,236,661		54,518,925	
b Administrative Expenses - Centre	24,497,262		21,543,496	
vii) Expenditure on International Exhibition at Beijing China	-		3,426,391	
viii) International Hort Expo Floriade 2022- Netherlands	16,577,154		-	
Expenses (For NE States including Sikkim)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	-		8,019,500	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	-		29,080,000	
iii) Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture	200,000	664,064,534	150,000	943,219,979
TOTAL		**664,064,534**		**943,219,979**

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.

As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs,) Partnership/Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/Committee, Municipal Corporations/Committees, Agro-Industries corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM, MoFPI schemes and Saffron Mission.

Place : GURUGRAM	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
Date : 20.06.2022	**Managing Director**	**Deputy Managing Director**	**Accounts Officer**

SCHEDULE -23

(Amount in ₹.)

INTEREST	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. On fixed loans				-
b. On other loans (including Bank charges)				-
c. Other (Specify)				-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
Date : 20.06.2022	**Managing Director**	**Deputy Managing Director**	**Accounts Officer**

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2022

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. Provision for Pay for the month of March 2022 has not been made in the accounts because the same is payable in the next year.

2. VALUATION OF INVENTORIES

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost.

3. INVESTMENT

Not applicable.

4. EXCISE DUTY

Not Applicable.

5. FIXED ASSETS

The Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

6. DEPRECIATION

a) Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rates prescribed under Income Tax Act, 1961.

b) In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provisionof the Income Tax Act, 1961.

7 MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Not applicable.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Not applicable

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

a) Grant-in-aid received from the Department of Agriculture & Farmers Welfare,Govt. of India is accounted for on realization basis

b) Department of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India has sanctioned and released Grants in aid – general of Rs. 10.00 crore vide letter no. 12-18/2020-MIDH (NHB) dated 31.03.2022 which was received by NHB in the

bank account no.193501000000101 on 2nd April 2022. As on 31.03.2022, the same has been shown as Grants –in-aid in transit.

c) Grants-in-aid received from the Government under various Schemes, other than NHB Schemes, have been recorded in Earmarked Funds.

d) There is no Grant-in-aid received in the nature of non-monetary assets as well as Grants related to specific fixed assets.

10 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFITS

a) Liability towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the actuarial valuation.

b) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

13. REVENUE RECOGNITION

a) Income such as interest on FDR's and Saving Bank Account are accounted for on accrual basis (interest certificate from the bank as well as 26 AS of the Income Tax Department).

b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.

c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are recorded in Corpus/Capital Fund.

Place : GURUGRAM	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
Date : 20.06.2022	**Managing Director**	**Deputy Managing Director**	**Accounts Officer**

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2022

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year NIL)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Bills discounted with banks Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

- Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL)
- Court Cases Rs. 3.00 crore (approx..)(Previous year NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs. NIL (Previous Year NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year NIL)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs NIL (Previous year Rs. NIL).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

a) In view of there being no taxable income under Income Tax Act 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary. National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the Assessment Year 2008-09. The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, 2011-12 to 2013-14 & 2014-15 and onwards but the same were rejected by the Income Tax Authorities . The Board has filed writ petitions in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the

decision of Income Tax Authorities. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court. The Board is registered with Income Tax Authorities u/s 12 AA of the Income Tax Act, 1961.The NHB is filing its Income Tax Returns (ITRs) of Nil income with the Income Tax Department timely every year along with audit report required by the charitable institutions for the compliance of conditions u/s 10 (23C) (IV) of the Income Tax act, 1961.The TDS amounting to Rs. 85,91,928/- is deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits/ rent of NHB during the financial year 2021-22 (relevant to Asstt. Year 2022-23) which is claimable as refund at the time of filing of Income Tax Return with the Income Tax Authorities. The NHB has received refund from Income Tax Authorities for Asstt. years 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020 & 2020-2021 on account of TDS deducted on interest earned on FDRs and rent receipts during the year by treated income as NIL by the IT Department.

b) The Board has made an application in Form No. 10 A for renewal of registration u/s 12AA of the Income Tax Act, 1961 on 31st December 2021. The Principal Commissioner of Income Tax / Commissioner of Income Tax has ordered the registration of the Board on 07.01.2022 for 5 (five) years from Asstt. Year 2022-23 to 2026-27.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

- Purchase of finished Goods	NIL
- Raw Materials &Components (Including in transit)	NIL
- Capital Goods	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL

6.2 Expenditure in foreign currency

a) Travelling Expenses	NIL
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/banks in Foreign Currency	
c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness -	NIL
d) Other expenditure:	
- Commission on Sales	NIL
- Legal and Professional Expenses	NIL
- Miscellaneous Expenses :-	NIL

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis	NIL

6.4 Remuneration to auditors:

- As Audit Fees	NIL
- Out of Pocket Expenses	NIL

- Taxation Matters	NIL
- Others	NIL

7. The Funds accumulated on account of cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as Fixed assets created out of the cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the annual accounts of the Board.

8. The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suits have been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.

9. As per practice in NHB regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than Principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in Principal amount. During the current financial year recovery under erstwhile soft loan scheme of NHB is NIL.

10. Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.

11. The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs.19,44,49,582/- has been made up to 31.3.2022.

12. Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.

13. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India decided (February 2017) to temporarily transfer land & building of erstwhile National Oil Seeds & Vegetable Oil Development Board (NOVOD) (wound up in September 2016) to NHB and directed NHB to pay wages of security staff, electricity expenses etc. from their budget for which funds would be transferred to NHB later on. An amount of Rs. 8,46,715/- is payable on behalf of NOVOD as on 31st March 2022 and shown in the books of account. Further, the Govt. of India has informed vide letter dt 18th March, 2020 that the Directorate of Wheat Development (DWD), Ghaziabad is going to shift their office to the building erstwhile NOVOD Board situated at Sector – 18, Gurugram and requested to continue the present arrangement for security of the Building. An amount of Rs 1,48,443/- is paid on behalf of DWD and the same is recoverable as on 31st March 2022 and shown in the books of account.

14. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

15. Figures have been rounded off to the nearest rupee.

16. Schedules 1 to 25 are annexed to and from an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2022 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Place : GURUGRAM	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
Date : 20.06.2022	**Managing Director**	**Deputy Managing Director**	**Accounts Officer**

Promoting
Horticulture Entrepreneurship, Technology and Innovation
in Indian Horticulture
through NHB Schemes

MANDATE OF NHB

- HI-TECH COMMERCIAL HORTICULTURE IN OPEN & PROTECTED COVER

- POLY HOUSE CULIVATION

- COLD STORAGE / CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE

- REFFER TRUCKS

- TRANSFER OF TECHNOLOGY

- PRIMARY PROCESSING

- PROMOTION OF MECHANISATION IN HORTICULTURE

- PACK HOUSE

ENSURING AVAILABILITY OF QUALITY PLANTING MATERIAL THROUGH NURSERY ACCREDITATION PROGRAMME

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नंबर 85, इंस्टीटयूशनल एरिया, सेक्टर–18, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Institutional Area, Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana)
दूरभाष/Tel.: 0124-2342992, 2342991

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218